रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 76] प्रयागराज, शनिवार, 1 अक्टूबर, 2022 ई० (आश्विन 9, 1944 शक संवत्) [संख्या 40

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	807–822	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	813–826	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	..	975
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		975
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	150–153	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	469–484	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

गृह विभाग

[पुलिस सेवायें]

अनुभाग-1

प्रोन्नति

02 फरवरी, 2022 ई0

सं0 200/छः पु0से0-1-2020-01 (अधियाचन)/2021—चयन वर्ष 2021-2022 में उत्तर प्रदेश प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में पुलिस निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नति कोटे में अवधारित रिक्तियों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के अधीन गठित विभागीय चयन समिति की दिनांक 01 जनवरी, 2022 को सम्पन्न बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति पत्र संख्या 65/03/पी/सेवा-1/2021-2022 दिनांक 04 जनवरी, 2022 द्वारा उपलब्ध करायी गयी। तद्क्रम में कार्यालय आदेश संख्या 19/छः पु0से0-1-2022-01 (अधियाचन)/2021 दिनांक 05 जनवरी, 2022 द्वारा 31 दिसम्बर, 2021 तक उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष-26 पुलिस निरीक्षकों की पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत किये जाने का आदेश निर्गत किया जा चुका है।

2—अब चयन वर्ष 2021-2022 में 31 जनवरी, 2022 में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष विभागीय चयन समिति की उक्त संस्तुति के अनुक्रम में पुलिस सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त एवं कार्यरत निम्नलिखित निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्रतिसार निरीक्षक एवं दलनायक को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस उपाधीक्षक, साधारण वेतनमान (वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड-पे रु0 5400, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-10 रु0 56,100-1,77,500) में प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है :—

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	ज्येष्ठता सूची का क्रमांक (पुराना)	ज्येष्ठता सूची का क्रमांक (नया)
1	2	3	4
	सर्वश्री—		
1	ललितमणि त्रिपाठी	171	48
2	सुरेश कुमार मिश्रा	172	49
3	अविनाश चन्द्र सिन्हा	174	51
4	प्रमोद कुमार सिंह	175	52

प्रश्नगत चयन रिट याचिका संख्या 34799 (एस/एस)/2019 में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में पारित आदेश दिनांक 22 सितम्बर, 2021 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या 410/2021 उ0प्र0 राज्य बनाम विजय सिंह तथा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित रिट याचिका संख्या 20914/2018 केशवचन्द्र राय बनाम उ0प्र0 राज्य एवं तद्सम्बन्धी अन्य रिट याचिकाओं सहित यदि कोई प्रत्यावेदन/विभागीय कार्यवाही लम्बित हो तो उसमें पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

3—उपर्युक्त प्रोन्नत आदेश में सम्मिलित कार्मिकों की तैनाती से पूर्व पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0/अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्मिकों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही एवं ई0ओ0डब्लू0/ए0सी0ओ0/सी0बी0सी0आई0डी0/सतर्कता जांच आदि प्रचलित/लम्बित नहीं है। इस सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0 लखनऊ स्वयं संतुष्ट हो लेंगे और

यदि पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत किसी कार्मिक के विरुद्ध कोई भी प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो तत्काल सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति प्रतिबन्धित करते हुए उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

4—पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत कार्मिकों की तैनाती का आदेश निर्गत किये जाने से पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रोन्नत कोटे में रिक्ति वास्तविक रूप से उपलब्ध है। प्रोन्नति कोटा में वास्तविक रूप से रिक्तियां उपलब्ध होने पर ही प्रोन्नत ओदश के सापेक्ष निर्गत किया जायेगा। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या 790/सी0ई0आ0-1-02/1-2022 टी0सी0-2 दिनांक 02 फरवरी, 2022 द्वारा दिये गये मार्ग-दर्शन के क्रम में इन अधिकारियों के स्थानान्तरण/तैनाती संबंधी आदेश निर्गत किये जाने से पूर्व भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

5—उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारी 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे।

10 फरवरी, 2022

सं0 289/छः पु0से0-1-2022-पी0एफ0-02/2022—उत्तर प्रदेश प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में कार्यरत पुलिस उपाधीक्षक, साधारण वेतनमान (रु0 15,600-39100, ग्रेड-पे रु0 5,400, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-10 रु0 56,100-1,77,500) में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 08 फरवरी, 2022 में की गयी संस्तुति के अनुक्रम में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही पुलिस उपाधीक्षक, ज्येष्ठ वेतनमान (रु0 15,600-39,100 ग्रेड-पे रु0 6,600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-11 रु0 67,700-2,08,700) में प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :—

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	ज्येष्ठता क्रमांक	आवंटन वर्ष
1	2	3	4
	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री—		
1	श्वेता आशुतोष ओझा	709	2014
2	प्रीती देवी	711	2014
3	जफर अब्बास नकवी	712	2014
4	अजय कुमार यादव	713	2014
5	अंशु जैन	715	2014
6	योगेन्द्र सिंह	717	2014
7	मो0 रिजवान	719	2014
8	दीप कुमार पन्त	720	2014
9	समीक्षा पाण्डेय	721	2014
10	बीनू सिंह	723	2014
11	शैलेजा मिश्रा	724	2014
12	आभा पाण्डेय	725	2014
13	यादवेन्द्र यादव	726	2014
14	अभिनव यादव	727	2014
15	रोहित यादव	728	2014
16	रजनीश वर्मा	721	2014
17	राधा रमण सिंह	732	2014

1	2	3	4
	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री–		
18	राजेश कुमार	733	2014
19	सुरेन्द्र नाथ यादव	734	2014
20	प्रवीण मलिक	735	2014
21	मोनिका यादव	736	2014
22	विकास कुमार जायसवाल	737	2014
23	मनीष कुमार यादव	738	2014
24	अनविता उपाध्याय	739	2014
25	सविरत्न गौतम	740	2014
26	रजनीश कुमार उपाध्याय	741	2014
27	प्रदीप सिंह	742	2014
28	अंकित कुमार	743	2014
29	अवधेश कुमार चौधरी	744	2014
30	देव आनन्द	745	2014
31	पवन कुमार	746	2014
32	अखिलेश राजन	747	2014
33	लक्ष्मीकान्त गौतम	748	2014
34	आशुतोष कुमार	749	2014
35	सुमन कन्नौजिया	750	2014
36	योगेन्द्र कुमार	751	2014
37	अमर बहादुर	752	2014
38	संजय कुमार रेड्डी	754	2014
39	रामकृष्ण यादव	755	2015
40	आशुतोष तिवारी	756	2015
41	श्याम प्रकाश उपाध्याय	757	2015
42	सुरेन्द्र कुमार	759	2015

2–उपर्युक्त प्रोन्नति आदेश रिक्तियों/परिणामी रिक्तियों (ऐसी रिक्तियां जिन पर मुहरबन्द लिफाफा, आस्थगित चयन अथवा अन्य किसी प्रकार से किसी व्यक्ति का धारणाधिकार न हो) के वास्तविक रूप में उपलब्ध होने पर उनकी ज्येष्ठता क्रम में ही निर्गत किये जायेंगे।

3–उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

11 फरवरी, 2022 ई0

सं0 297/छः पु0से0-1-2022-पी0एफ0-01/2022—चयन वर्ष 2021-2022 में प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में अपर पुलिस अधीक्षक (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड-पे रु0 7,600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-12 रु0 78,800-2,09,200) के पद पर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 27 सितम्बर, 2021 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में तद्समय पात्रता सूची में श्री अमित किशोर श्रीवास्तव, (ज्येष्ठता क्रमांक-341) का नाम क्रमांक-05 पर सम्मिलित था, किन्तु श्री अमित किशोर श्रीवास्तव के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संगठन में जांच लम्बित/प्रचलित होने के कारण समिति द्वारा तद्समय सम्यक् विचारोपरान्त श्री अमित किशोर श्रीवास्तव का चयन 01 पद सुरक्षित करते हुए 'आस्थगित' रखे जाने की संस्तुति की गयी थी।

2—चयन वर्ष 2021-2022 में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रेड पे0 रु0 7,600/- में उपलब्ध 45 रिक्तियों पर प्रोन्नति हेतु तैयार की गयी पात्रता सूची के क्रमांक-3 पर अंकित श्री अमित किशोर श्रीवास्तव के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संगठन में प्रचलित जांच/कार्यवाही में इनके विरुद्ध कोइ साक्ष्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप जांच समाप्त होने के उपरान्त श्री अमित किशोर श्रीवास्तव को उक्त वेतनमान में प्रोन्नत होने की तिथि से नोशनल प्रोन्नति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव चयन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 08 फरवरी, 2022 को सम्पन्न बैठक में चयन समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त श्री अमित किशोर श्रीवास्तव (ज्येष्ठता क्रमांक-341) को अपर पुलिस अधीक्षक, (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड-पे रु0 7,600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-12 रु0 78,800-2,09,200) में उनके आसन्न कनिष्ठ श्री धन्नजय सिंह कुशवाहा (ज्येष्ठता क्रमांक-342) को उक्त वेतनमान में प्रोन्नत होने की तिथि दिनांक 30 सितम्बर, 2021 से दिनांक 07 जनवरी, 2022 की अवधि तक नोशनल प्रोन्नति प्रदान किये जाने की संस्तुति की गयी है।

3—अतः विभागीय चयन समिति की उक्त बैठक में की गयी संस्तुति के क्रम में श्री अमित किशोर श्रीवास्तव (ज्येष्ठता क्रमांक-341) को अपर पुलिस अधीक्षक, (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड-पे रु0 7,600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-12 रु0 78,800-2,09,200) में उनके आसन्न कनिष्ठ श्री धन्नजय सिंह कुशवाहा (ज्येष्ठता क्रमांक-342) को उक्त वेतनमान में प्रोन्नत होने की तिथि दिनांक 30 सितम्बर, 2021 से दिनांक 07 जनवरी, 2022 की अवधि तक नोशनल प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

सं0 298/छः पु0से0-1-2022-पी0एफ0-1/2022—चयन वर्ष 2021-2022 में प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में अपर पुलिस अधीक्षक (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड-पे रु0 7,600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-12 रु0 78,800-2,09,200) के पद पर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 27 सितम्बर, 2021 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में तद्समय पात्रता सूची में श्री नितेश सिंह, (ज्येष्ठता क्रमांक-341) का नाम क्रमांक-14 पर सम्मिलित था, किन्तु श्री नितेश सिंह के विरुद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही के कारण समिति द्वारा तद्समय सम्यक् विचारोपरान्त श्री नितेश सिंह को अनुपयुक्त श्रेणी में वर्गीकृत किया गया।

2—श्री नितेश सिंह के विरुद्ध प्रचलित प्रकरण कार्यालय आदेश संख्या 2021/छः पु0से0-1-2021-09(90)/2018 दिनांक 07 दिसम्बर, 2021 द्वारा निरस्त किये जाने के लिये गये निर्णय के क्रम में श्री नितेश सिंह की अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रेड पे0 रु0 7,600/- में उनके आसन्न कनिष्ठ श्री अजय कुमार को उक्त वेतनमान में प्रोन्नत होने की तिथि से नोशनल प्रोन्नति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव चयन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 08 फरवरी, 2022 को सम्पन्न बैठक में चयन समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त श्री नितेश सिंह (ज्येष्ठता क्रमांक-351) को अपर पुलिस अधीक्षक, (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड-पे रु0 7,600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-12 रु0 78,800-2,09,200) में उनके आसन्न कनिष्ठ श्री अजय कुमार (ज्येष्ठता क्रमांक-352) को उक्त वेतनमान में प्रोन्नत होने की तिथि दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 से दिनांक 07 जनवरी, 2022 की अवधि तक नोशनल प्रोन्नति प्रदान किये जाने की संस्तुति की गयी है।

3—अतः विभागीय चयन समिति की उक्त बैठक में की गयी संस्तुति के क्रम में श्री नितेश सिंह (ज्येष्ठता क्रमांक-351) को अपर पुलिस अधीक्षक, (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड-पे रु0 7,600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-12 रु0 78,800-2,09,200) में उनके आसन्न कनिष्ठ श्री अजय कुमार (ज्येष्ठता क्रमांक-352) को उक्त वेतनमान में प्रोन्नत होने की तिथि दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 से दिनांक 07 जनवरी, 2022 की अवधि तक नोशनल प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

सं0 299/छः पु0से0-1-2022-पी0एफ0-01/2022—चयन वर्ष 2021-2022 में प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में अपर पुलिस अधीक्षक (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड-पे रु0 7,600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-12 रु0 78,800-2,09,200) के पद पर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 27 सितम्बर, 2021 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में तद्समय पात्रता सूची में श्री कालू सिंह, (ज्येष्ठता क्रमांक-359) का नाम क्रमांक-23 पर सम्मिलित था, किन्तु श्री कालू सिंह के विरुद्ध पंजीकृत मु0अ0सं0-289/2017 धारा-342 भा0दं0वि0 थाना फतेहगंज पश्चिमी, जनपद बरेली की विवेचना द्वारा अन्तिम रिपोर्ट संख्या 01/2018 दिनांक 30 जुलाई, 2018 को मा0 न्यायालय, सी0जे0एम0 बरेली में दाखिल किया गया था, जो मा0 न्यायालय द्वारा स्वीकार न होने के कारण दिनांक 27 सितम्बर, 2021 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति द्वारा श्री कालू सिंह का चयन 01 पद सहित 'आस्थगित' रखे जाने की संस्तुति की गयी थी।

2—चयन वर्ष 2021-2022 में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रेड पे0 रु0 7,600/- में उपलब्ध 45 रिक्तियों पर प्रोन्नति हेतु तैयार की गयी पात्रता सूची के क्रमांक-6 पर अंकित श्री कालू सिंह के विरुद्ध पंजीकृत मु0अ0सं0-289/2017 धारा-342 भा0दं0वि0 थाना फतेहगंज पश्चिमी, जनपद बरेली की विवेचना द्वारा प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट संख्या 01/2018 दिनांक 30 जुलाई, 2018 को मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2021 को स्वीकार कर ली गयी, जिसके फलस्वरूप श्री कालू सिंह को उनके कनिष्ठ श्री हृदेश कठेरिया के उक्त वेतनमान में प्रोन्नत होने की तिथि से नोशनल प्रोन्नति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव चयन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 08 फरवरी, 2022 को सम्पन्न बैठक में चयन समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त श्री कालू सिंह (ज्येष्ठता क्रमांक-359) को अपर पुलिस अधीक्षक, (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड-पे रु0 7,600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-12 रु0 78,800-2,09,200) में उनके आसन्न कनिष्ठ श्री हृदेश कठेरिया (ज्येष्ठता क्रमांक-360) को उक्त वेतनमान में प्रोन्नत होने की तिथि दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 से दिनांक 07 जनवरी, 2022 की अवधि तक नोशनल प्रोन्नति प्रदान किये जाने की संस्तुति की गयी है।

3—अतः विभागीय चयन समिति की उक्त बैठक में की गयी संस्तुति के क्रम में श्री कालू सिंह (ज्येष्ठता क्रमांक-359) को अपर पुलिस अधीक्षक, (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड-पे रु0 7,600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-12 रु0 78,800-2,09,200) में उनके आसन्न कनिष्ठ श्री हृदेश कठेरिया (ज्येष्ठता क्रमांक-360) को उक्त वेतनमान में प्रोन्नत होने की तिथि दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 से दिनांक 07 जनवरी, 2022 की अवधि तक नोशनल प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

सं0 300/छः पु0से0-1-2022-पी0एफ0-01/2022—चयन वर्ष 2016-2017 में पुलिस उपाधीक्षक, ज्येष्ठ वेतनमान ग्रेड-पे-रु0 6,600 से अपर पुलिस अधीक्षक ग्रेड-पे रु0 7,600 में प्रोन्नति हेतु विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 31 मई, 2017 में श्री राहुल मिश्रा की पदोन्नति पर विचार किया गया, किन्तु श्री मिश्रा के शासन के आदेश दिनांक 15 अक्टूबर, 2016 द्वारा निलम्बित किये जाने तथा विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप चयन समिति द्वारा इनकी पदोन्नति के सम्बन्ध में की गयी संस्तुति को बन्द लिफाफे में रखा गया। शासन के आदेश दिनांक 26 जून, 2018 द्वारा श्री राहुल मिश्रा को परिनिन्दा दण्ड प्रदान करते हुए इनके विरुद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही समाप्त की गयी।

चयन वर्ष 2017-2018 में पुलिस उपाधीक्षक, ज्येष्ठ वेतनमान से अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर प्रोन्नत किये जाने हेतु दिनांक 18 जुलाई, 2018 को विभागीय चयन समिति की बैठक में श्री राहुल मिश्रा की अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने पर विचार किया गया, किन्तु श्री मिश्रा की शासन द्वारा दिनांक 26 जून, 2018 को प्रदान किये गये परिनिन्दा दण्ड के फलस्वरूप अनुपयुक्त पाते हुए पदोन्नति प्रदान नहीं की गयी। इसी प्रकार

चयन वर्ष 2018-19 में अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रेड-पे 7,600/– के पद पर दिनांक 24 दिसम्बर, 2018 को विभागीय चयन समिति की बैठक आहूत की गयी। श्री राहुल मिश्रा को दिनांक 26 जून, 2018 को शासन द्वारा प्रदान किये गये परिनिन्दा दण्ड के फलस्वरूप समिति द्वारा पुनः अनुपयुक्त पाते हुए अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं की गयी।

चयन वर्ष 2019-2020 में पुलिस उपाधीक्षक, ज्येष्ठ वेतनमान से अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रेड-पे 7,600/– के पद पर प्रोन्नत किये जाने हेतु दिनांक 31 जनवरी, 2020 को विभागीय चयन समिति की बैठक आहूत की गयी। शासन द्वारा दिनांक 26 जून, 2018 को प्रदान किये गये परिनिन्दा दण्ड एवं दिनांक 27 सितम्बर, 2019 को आरोप पत्र निर्गत होने/निलम्बित होने के कारण संस्तुति बन्द लिफाफे में रखी गयी। शासन के कार्यालय आदेश दिनांक 18 दिसम्बर, 2020 द्वारा शासन के परिनिन्दा दण्ड दिनांक 26 जून, 2018 को समाप्त कर दिया गया।

2–शासन के कार्यालय आदेश दिनांक 31 मई, 2021 द्वारा श्री राहुल मिश्रा को विभागीय कार्यवाही में दोषमुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त होने के फलस्वरूप विभागीय चयन समिति में मोहरबन्द लिफाफे में रखी गयी संस्तुति खोली गयी, तत्पश्चात् श्री राहुल मिश्रा, ज्येष्ठता क्रमांक-273 को अपर पुलिस अधीक्षक, (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड-पे रु0 7,600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-12 रु0 78,800-2,09,200) में प्रोन्नति प्रदान की गयी, जिसके फलस्वरूप श्री राहुल मिश्रा को उनके कनिष्ठ श्री अवनीश कुमार मिश्रा के उक्त वेतनमान में प्रोन्नत होने की तिथि से नोशनल प्रोन्नति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव चयन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 08 फरवरी, 2022 को सम्पन्न बैठक में चयन समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त श्री राहुल मिश्रा (ज्येष्ठता क्रमांक-273) को अपर पुलिस अधीक्षक, (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड-पे रु0 7,600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-12 रु0 78,800-2,09,200) में उनके आसन्न कनिष्ठ श्री अवनीश कुमार मिश्रा (ज्येष्ठता क्रमांक-274) को उक्त वेतनमान में प्रोन्नत होने की तिथि दिनांक 31 मई, 2017 से दिनांक 21 जून, 2021 की अवधि तक नोशनल प्रोन्नति प्रदान किये जाने की संस्तुति की गयी है।

3–अतः विभागीय चयन समिति की उक्त बैठक में की गयी संस्तुति के क्रम में श्री राहुल मिश्रा (ज्येष्ठता क्रमांक-273) को अपर पुलिस अधीक्षक, (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड-पे रु0 7,600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-12 रु0 78,800-2,09,200) में उनके आसन्न कनिष्ठ श्री अवनीश कुमार मिश्रा (ज्येष्ठता क्रमांक-274) को उक्त वेतनमान में प्रोन्नत होने की तिथि दिनांक 31 मई, 2017 से दिनांक 21 जून, 2021 की अवधि तक नोशनल प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

सं0 301/छः पु0से0-1-2022-डी0पी0सी0सी0एल0-01/2021–चयन वर्ष 2021-2022 में प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में अपर पुलिस अधीक्षक विशेष श्रेणी-एक (वेतनमान रु0 37,400-67,000, ग्रेड-पे रु0 8,900, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-13क, रु0 1,31,100-2,16,600) के पद पर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में तद्समय पात्रता सूची में श्री ब्रजेश कुमार मिश्र, (ज्येष्ठता क्रमांक-119) का नाम क्रमांक-09 पर सम्मिलित था, किन्तु श्री ब्रजेश कुमार मिश्र के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण समिति द्वारा तद्समय सम्यक् विचारोपरान्त श्री ब्रजेश कुमार मिश्र का चयन 01 पद सुरक्षित करते हुए 'आस्थगित' रखे जाने की संस्तुति की गयी थी।

2–चयन वर्ष 2021-2022 में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रेड पे0 रु0 8,900/- में प्रोन्नति हेतु तैयार की गयी पात्रता सूची में अंकित श्री ब्रजेश कुमार मिश्र के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रक्रियाधीन में प्रचलित जांच/कार्यवाही को कार्यवाही को शासन के कार्यालय आदेश संख्या 3062/छः पु0से0-1-2021-12(अनु0)/2021 दिनांक 05 जनवरी, 2022 द्वारा बिना दण्ड के समाप्त किये जाने के फलस्वरूप श्री ब्रजेश कुमार मिश्र को उक्त वेतनमान में प्रोन्नत होने की तिथि से नोशनल प्रोन्नति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव चयन समिति के समझ विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 08 फरवरी, 2022 को सम्पन्न बैठक में चयन समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त श्री ब्रजेश कुमार मिश्र (ज्येष्ठता क्रमांक-119) को अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी-एक (वेतनमान रु0 37,400-67,000, ग्रेड-पे रु0 8,900, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-13क, रु0 1,31,100-2,16,600) में उनके

आसन्न कनिष्ठ श्री आशुतोष शुक्ला (ज्येष्ठता क्रमांक-120) को उक्त वेतनमान में प्रोन्नत होने की तिथि दिनांक 03 नवम्बर, 2021 से नोशनल प्रोन्नति प्रदान किये जाने की संस्तुति की गयी है।

3—अतः विभागीय चयन समिति की उक्त बैठक में की गयी संस्तुति के क्रम में श्री ब्रजेश कुमार मिश्र (ज्येष्ठता क्रमांक-119) को अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी-एक (वेतनमान रु0 37,400-67,000, ग्रेड-पे रु0 8,900, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-13क, रु0 1,31,100-2,16,600) में उनके आसन्न कनिष्ठ श्री आशुतोष शुक्ला (ज्येष्ठता क्रमांक-120) को उक्त वेतनमान में प्रोन्नत होने की तिथि दिनांक 03 नवम्बर, 2021 से नोशनल प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

22 फरवरी, 2022

सं0 241/6-पु0-1-22-287/2020—चयन वर्ष 2021-2022 में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के निरीक्षक (लिपिक) से पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (लिपिक शाखा) के पद पर प्रोन्नति कोटे में 03 रिक्तियों के सापेक्ष गठित विभागीय चयन समिति की दिनांक 03 फरवरी, 2022 को सम्पन्न बैठक में की गयी संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के निरीक्षक (लिपिक) में से मौलिक रूप से नियुक्त एवं कार्यरत निम्नलिखित निरीक्षक (लिपिक) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (लिपिक शाखा) साधारण वेतनमान (रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 5,400, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे लेवल-10, रु0 56,100-1,77,500) में प्रोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	ज्येष्ठता सूची क्रमांक
1	2	3
	सर्वश्री/श्रीमती—	
1	बहादुर सिंह	1
2	किरन बाला	2
3	सहदेव प्रसाद	3

2—उपर्युक्त प्रोन्नत आदेश में सम्मिलित कार्मिकों की तैनाती से पूर्व पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0/अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्मिकों के विरुद्ध किसी प्रकार की विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही/सतर्कता जांच आदि प्रचलित/लम्बित नहीं है। इस सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) उ0प्र0, लखनऊ स्वयं संतुष्ट हो लेंगे और यदि पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (लिपिक शाखा) के पद पर प्रोन्नत किसी कार्मिक के विरुद्ध कोई भी प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो तत्काल सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति प्रतिबन्धित करते हुए उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

3—उक्त प्रोन्नत अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल प्रोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0, लखनऊ तथा सम्बन्धित को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4—पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (लिपिक शाखा) के पद पर प्रोन्नत कार्मिकों की तैनाती का आदेश निर्गत किये जाने से पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि रिक्तियां वास्तविक रूप से उपलब्ध हैं। वास्तविक रूप से उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष ही प्रोन्नति आदेश के सापेक्ष तैनाती का आदेश निर्गत किया जायेगा।

सं0 241(2)/6-पु0-1-22-287/2020—चयन वर्ष 2021-2022 में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के निरीक्षक (लेखा) से पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (लिपिक शाखा) के पद पर प्रोन्नति कोटे में 04 रिक्तियों के सापेक्ष गठित विभागीय चयन समिति की दिनांक 03 फरवरी, 2022 को सम्पन्न बैठक में की गयी संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के निरीक्षक (लेखा) में से मौलिक रूप से नियुक्त एवं कार्यरत निम्नलिखित निरीक्षक (लेखा) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (लेखा शाखा) साधारण वेतनमान (वेतनमान

रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 5,400, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे लेवल-10, रु0 56,100-1,77,500) में प्रोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	ज्येष्ठता सूची क्रमांक
1	2	3
	सर्वश्री/श्रीमती–	
1	वीरेन्द्र सिंह यादव	1
2	रविन्द्र कुमार मिश्र	2
3	रहीमुद्दीन	3
4	कृष्ण मोहन सक्सेना	4

2–उपरोक्तानुसार पदोन्नत कार्मिकों में से क्रम संख्या-2 पर अंकित श्री रविन्द्र कुमार मिश्र दिनांक 28 फरवरी, 2022 को सेवा निवृत्त हो जायेंगे। अतः उनके सापेक्ष ज्येष्ठता क्रमांक-5 पर अंकित श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान को पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (लेखा शाखा) ग्रेड पे रु0 5,400, पे मैट्रिक्स लेवेल-10 के पद पर पदोन्नत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3–उपर्युक्त प्रोन्नत आदेश में सम्मिलित कार्मिकों की तैनाती से पूर्व पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0/अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्मिकों के विरुद्ध किसी प्रकार की विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही/सतर्कता जांच आदि प्रचलित/लम्बित नहीं है। इस सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) उ0प्र0, लखनऊ स्वयं संतुष्ट हो लेंगे और यदि पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (लेखा शाखा) के पद पर प्रोन्नत किसी कार्मिक के विरुद्ध कोई भी प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो तत्काल सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति प्रतिबन्धित करते हुए उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

4–उक्त प्रोन्नत अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल प्रोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ तथा अन्य सम्बन्धित को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5–पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (लेखा शाखा) के पद पर प्रोन्नत कार्मिकों की तैनाती का आदेश निर्गत किये जाने से पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि रिक्तियां वास्तविक रूप से उपलब्ध हैं। वास्तविक रूप से उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष ही प्रोन्नति आदेश के सापेक्ष तैनाती का आदेश निर्गत किया जायेगा।

06 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 531/छः-पु0से0-2022-03(अधियाचन)/2020–उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परिक्षा-2018 के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक पद पर संस्तुत/चयनित अभ्यर्थी जिनका विवरण निम्नवत् है, को उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा संवर्ग में पुलिस उपाधीक्षक के साधारण वेतनमान रु0 15,600,-39,100 ग्रेड पे रू0-5,400 (7वें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10,रू0 56,100-1,57,700) में अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :–

क्र0	मेरिट क्रमांक	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	स्थायी पता
1	94	183823	श्री अमरीश कुमार पुत्र श्री अनिल कुमार	01-08-1992	ग्राम व पोस्ट-छेरडीह, थाना रेवती, जनपद बलिया।

2-प्रस्तर-1 में अंकित उपर्युक्त अभयर्थी को डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी , मुरादाबाद में तत्काल आधारभूत निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। उपर्युक्त अभ्यार्थी को डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर संगत नियमावली की व्यवस्थानुसार स्थायीकरण का अदेश पृथक से निर्गत किया जायेगा।

3-प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में उक्त चयनित अभयर्थी की पारस्परिक ज्येष्ठता का निर्धारण उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 यथासंशोधित के प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा तैयार की गई श्रेष्ठता सूची के आधार पर यथासमय किया जायेगा।

4-उपर्युक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि पुलिस सत्यापन रिपोर्ट/विभाग से प्राप्त कार्य एवं आचरण रिपोर्ट/स्वास्थ्य परीक्षण में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति/अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

5-नियुक्त अभ्यर्थी से नियमानुसार संगत प्रारूप पर इण्डियन ऑफिसियल सिक्रेट्स एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के संबंध में घोषण, समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा, एक से अधिक पति/पत्नी न होने की घोषणा, दहेज न लिये जाने विषयक प्रमाण-पत्र आदि दो प्रतियों में प्राप्त करने की कार्यवाही पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

वित्त विभाग

(सेवायें)

अनुभाग-1

सेवानिवृत्ति

09 मार्च, 2022 ई0

सं0-01/146006/2022—राष्ट्रीय बचत निदेशालय, उ0प्र0के अन्तर्गत कार्यरत श्री अनिल कुमार सक्सेना, उप निदेशक, राष्ट्रीय बचत, मेरठ मण्डल, मेरठ 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप दिनांक 30 जून, 2022 के अपरान्ह में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-56 (क) के अन्तर्गत सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

सं0-1/146017/2022-राष्ट्रीय बचत निदेशलय, उ0प्र0 के अन्तर्गत कार्यरत श्रीमती अमरावती कुशवाहा, उप निदेशक, राष्ट्रीय बचत, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप दिनांक 31 अगस्त, 2022 के अपरान्ह में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-56 (क) के अन्तर्गत सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

आज्ञा से,
मोहम्मद शाहिद,
विशेष सचिव।

राज्य कर विभाग

अनुभाग-4

पदोन्नति

22 मार्च, 2022 ई0

सं0-128/11-4-2022-30(12)/21—वाणिज्य कर विभाग में एडीश्नल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर के पद पर कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को सदस्य (विभागीय), वाणिज्य कर अधिकरण के पद पर (वेतनमान रु0-37,400-67,000 एवं ग्रेड वेतन रु0 10,000.00 पे मैट्रिक्स लेवल-14) एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है—

क्र0सं0	अधिकारी का नाम/ज्येष्ठता क्रमांक
1	2
1	श्री दया शंकर तिवारी (1152)
2	श्री बाबू लाल (1161)

2-उक्त पदोन्नत अधिकारी दिनांक 31 मार्च, 2022 को अपराह्न से कार्यमुक्त होकर दिनांक 01 अप्रैल, 2022 को अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण के कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुलिश्चित करेंगें।

3-उक्त आदेश दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा।

4-पदोन्नत अधिकारियों की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेगें।

श्री राज्यपाल की ओर से,
संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव।

चिकित्सा विभाग

अनुभाग-7

पदोन्नति

04 फरवरी, 2022 ई0

सं0 150/पांच-7-2022—एतद्द्वारा राज्यपाल महोदया श्री ऋषि प्रकाश यादव, प्रभारी अधिकारी (भेषजी) (वरिष्ठता क्रमांक-1392) को चयन समिति की संस्तुति के अनुक्रम में विशेष कार्याधिकारी (भेषजी) (वेतन बैण्ड-3 रु0 15,600-39,100 सादृश्य ग्रेड-पे-5,400 लेवल-10) के पद पर वर्तमान तैनाती स्थल पर ही कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2-श्री ऋषि प्रकाश यादव, विशेष कार्याधिकारी के पद अनुरूप तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
प्रांजल यादव,
सचिव।

नागरिक उड्डयन विभाग

सेवानिवृत्ति

17 फरवरी, 2022 ई0

सं0 250/छप्पन-2022-59/1995—श्री देवराज सिंह, मुख्य सरक्षा अधिकारी, नागरिक उड्डयन निदेशालय, लखनऊ की जन्म-तिथि उनकी सेवा पुस्तिका के अनुसार 20 जुलाई, 1962 (बीस जुलाई उन्नीस सौ बासठ) है। इस प्रकार श्री देवराज सिंह वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-दो, भाग-दो से चार के मूल नियम-56 (यथा संशोधित) के अनुसार 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त कर दिनांक 31 जुलाई, 2022 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो जायेगें।

आज्ञा से,
कुमार हर्ष,
विशेष सचिव।

कृषि विभाग

अनुभाग-1

पदोन्नति

03 फरवरी, 2022 ई0

सं0 155/12-1-2022-110/2019—श्री चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव, उप कृषि निदेशक (उ0प्र0 कृषि सेवा समूह-क पद) को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त कृषि निदेशक स्तर

(वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड-पे-7,600 मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर पदोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2—उक्त पदोन्नति मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 20764/2019 अशोक कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 19564(एस0एस0)/2019 आनन्द कुमार त्रिपाठी व सुनील कुमार अग्निहोत्री बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य रिट याचिका संख्या 21053(एस0एस0)/2019 इन्द्रदेव सिंह यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 22815 (एस0एस0)/2019 डा0 अशोक तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, एवं समान विषय पर योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अग्रिम निर्णय के अधीन होगी।

3—अग्रिम आदेशों तक श्री श्रीवास्तव द्वारा उप कृषि निदेशक, लखनऊ के पद का कार्य पूर्ववत् देखा जाता रहेगा।

आज्ञा से,
डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

परिवहन विभाग

अनुभाग-3

तैनाती

08 मार्च, 2022 ई0

सं0 237/तीस-3-2022—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2020 के आधार पर उ0प्र0 सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) हेतु चयनित एवं संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थियों को श्री राज्यपाल महोदय वेतन बैन्ड-3, वेतनमान रु0 15,600-39,100/-ग्रेड पे0 रु0 5,400/-(सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 में रु0 56,100-1,77,500/-) में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (परिवीक्षाधीन) के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए प्रशिक्षण हेतु परिवहन आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय में तैनात करते हैं—

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	गृह जनपद	तैनाती का स्थल
1	2	3	4
	सर्वश्री—		
1	रोहित राजपूत	ग्वालियर, मध्य प्रदेश	कार्यालय परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 टिहरी कोठी, लखनऊ
2	शिवम यादव	आगरा	तदैव
3	प्रवेश कुमार	इटावा	तदैव
4	अतुल कुमार यादव	जौनपुर	तदैव
5	सुधांशु रंजन	लखनऊ	तदैव

2—उपर्युक्त अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् आधारभूत प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ तथा परिवहन आयुक्त कार्यालय में आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, जिसकी व्यवस्था परिवहन आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा की जायेगी। संबंधित अधिकारियों का सेवा में बना रहना, निर्धारित प्रशिक्षण का सन्तोषजनक ढंग से उनके द्वारा सम्पन्न करने के अधीन होगा।

3—उपरोक्तानुसार नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी—

(1) उपर्युक्त सभी अधिकारी प्रारम्भ में दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। प्रशिक्षण काल की अवधि परिवीक्षा अवधि में शामिल होगी। आवश्यकता पड़ने पर यह अवधि बढ़ायी भी जा सकती है।

(2) इनकी नियुक्ति पूर्णरूपेण अस्थायी है तथा किसी भी समय एक माह का नोटिस अथवा इसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

(3) इनकी सेवायें ''उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा नियमावली, 1990'' के अधीन होगी तथा समस्त अन्य सेवा शर्ते भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(4) इनका स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथासमय किया जायेगा एवं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ इनकी ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(5) तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए उन्हें कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

आज्ञा से,
राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग

अनुभाग-1

प्रोन्नति

02 मार्च, 2022 ई0

सं0 73-18-1-22-25(72)—2021—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज की संस्तुत विषयक उप सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज के पत्र संख्या 675(1)/11/पी/एस-9/2021-2022 दिनांक 10 फरवरी, 2022 के क्रम में उद्योग निदेशालय (मुख्यालय) में कार्यरत श्री जोखू लाल सरोज, अपर सांख्यिकी अधिकारी (गैर तकनीकी), कानपुर एवं श्री महेश चन्द्र सरोज, अपर सांख्यिकी अधिकारी (गैर तकनीकी), जिला उद्योग केन्द्र रायबरेली का चयन 2020-2021 की रिक्ति के सापेक्ष नियमित चयनोपरान्त सहायक आयुक्त, उद्योग के पदों पर श्रेणी-2 वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन 5,400/- में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2—उक्त प्रोन्नत अधिकारियों श्री जोखू लाल सरोज एवं श्री महेश चन्द्र सरोज की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे तथा उनकी ज्येष्ठता नियमानुसार अलग से निर्धारित की जायेगी।

आज्ञा से,
नवनीत सहगल,
अपर मुख्य सचिव।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अनुभाग-1

सेवानिवृत्ति

02 फरवरी, 2022 ई0

सं0 83/81-1-2022-9/2011—निदेशक, वन एवं वन्यजीव सांख्यिकी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्र संख्या 68/10-2-6 दिनांक 19 जनवरी, 2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर वन एवं वन्यजीव विभाग में सांख्यिकीय संवर्ग के अन्तर्गत निम्नलिखित 03 सांख्यिकीय अधिकारी वर्ष 2022 में अपनी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर अपने नाम के सम्मुख अंकित तिथि से सेवानिवृत्त माने जायेंगे—

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	जन्म-तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि
1	2	3	4
	सर्वश्री–		
1	विश्वतोष चतुर्वेदी	12-10-1962	31-10-2022
2	अनिल कुमार श्रीवास्तव	01-01-1963	31-12-2022
3	आशाराम	25-02-1962	28-02-2022

आज्ञा से,
रवि शंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

अनुभाग-1

पदोन्नति

11 मार्च, 2022 ई0

सं0 364/सत्ताईस-1-2022-68/2019 टी0सी0–सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश सिविल संवर्ग के श्री अरुण कुमार चौधरी, सहायक अभियन्ता को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधिशासी अभियन्ता (वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 6,600) के पद पर एतद्द्वारा नियमित पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2–श्री अरुण कुमार चौधरी की तैनाती/पदस्थापना सम्बन्धी आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

3–उक्त आदेश विभिन्न मा0 न्यायालयों के समक्ष प्रचलित रिट याचिकाओं/निर्देश याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 365/सत्ताईस-1-2022-68/2019 टी0सी0–सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश सिविल संवर्ग के श्री बृजेश कुमार, सहायक अभियन्ता को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधिशासी अभियन्ता (वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 6,600) के पद पर एतद्द्वारा नियमित पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–श्री बृजेश कुमार की तैनाती/पदस्थापना सम्बन्धी आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

3–उक्त आदेश विभिन्न मा0 न्यायालयों के समक्ष प्रचलित रिट याचिकाओं/निर्देश याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 366/सत्ताईस-1-2022-68/2019 टी0सी0–सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश सिविल संवर्ग के श्री मयंक राज सिंह, सहायक अभियन्ता को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधिशासी अभियन्ता (वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 6,600) के पद पर एतद्द्वारा नियमित पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2–श्री मयंक राज सिंह की तैनाती/पदस्थापना सम्बन्धी आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

3–उक्त आदेश विभिन्न मा0 न्यायालयों के समक्ष प्रचलित रिट याचिकाओं/निर्देश याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 367/सत्ताईस-1-2022-68/2019 टी0सी0–निर्देश याचिका संख्या 1076/2016 सुरेश कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 के अनुक्रम में श्री सुरेश कुमार, सहायक अभियन्ता के सेवा अभिलेखों में हुए परिवर्तन के दृष्टिगत सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश सिविल संवर्ग के श्री सुरेश कुमार, सहायक अभियन्ता (ज्येष्ठता क्रमांक-239) को उनके कनिष्ठ की प्रोन्नति की तिथि

06 अक्टूबर, 2015 से अधिशासी अभियन्ता (वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 6,600) के पद पर एतद्द्वारा नोशनल प्रोन्नति तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित रूप से वास्तविक पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री सुरेश कुमार की नोशनल प्रोन्नति के फलस्वरूप कार्मिक विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 13/21/89-का-1-1997 दिनांक 28 मई, 1997 के अनुसार वेतन निर्धारण तथा तैनाती/पदस्थापना सम्बन्धी आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

3—उक्त आदेश विभिन्न मा0 न्यायालयों के समक्ष प्रचलित रिट याचिकाओं/निर्देश याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 368/सत्ताईस-1-2022-68/2019 टी0सी0—सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश सिविल संवर्ग के श्री आशीष रंजन, सहायक अभियन्ता को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधिशासी अभियन्ता (वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 6,600) के पद पर एतद्द्वारा नियमित पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2—श्री आशीष रंजन की तैनाती/पदस्थापना सम्बन्धी आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

3—उक्त आदेश विभिन्न मा0 न्यायालयों के समक्ष प्रचलित रिट याचिकाओं/निर्देश याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 369/सत्ताईस-1-2022-68/2019 टी0सी0—सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश सिविल संवर्ग के श्री दिग्विजय नारायण शुक्ला, सहायक अभियन्ता को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधिशासी अभियन्ता (वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 6,600) के पद पर एतद्द्वारा नियमित पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2—श्री दिग्विजय नारायण शुक्ला की तैनाती/पदस्थापना सम्बन्धी आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

3—उक्त आदेश विभिन्न मा0 न्यायालयों के समक्ष प्रचलित रिट याचिकाओं/निर्देश याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 370/सत्ताईस-1-2022-68/2019 टी0सी0—सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश सिविल संवर्ग के श्री धर्म घोष, सहायक अभियन्ता को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधिशासी अभियन्ता (वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 6,600) के पद पर एतद्द्वारा नियमित पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2—श्री धर्म घोष की तैनाती/पदस्थापना सम्बन्धी आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

3—उक्त आदेश विभिन्न मा0 न्यायालयों के समक्ष प्रचलित रिट याचिकाओं/निर्देश याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 371/सत्ताईस-1-2022-43/2019—सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश सिविल संवर्ग के श्री जय प्रकाश सिंह, अधिशासी अभियन्ता को अधीक्षण अभियन्ता (वेतनमान रु0 37,400-67,000 ग्रेड पे रु0 8,700 पे मैट्रिक्स लेवल-13) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2—श्री जय प्रकाश सिंह की तैनाती/पदस्थापना के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

अनीता वर्मा सिंह,

विशेष सचिव।

पदोन्नति

25 मार्च, 2022 ई0

सं0 205/सत्ताईस-1-2022-21/2021—सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 सिविल संवर्ग के श्री नरेश चन्द्र उपाध्याय, मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 को प्रमुख अभियन्ता (सिविल) (वेतनमान रु0 67,000-79,000 पे मैट्रिक्स लेवल-15) के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2—उक्त आदेश दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा।

सं0 436/सत्ताईस-1-2022-21/2021—सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश सिविल संवर्ग के श्री अशोक कुमार सिंह, प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) को प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पद पर पदस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2—उक्त तैनाती का आदेश दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा।

आज्ञा से,
अनिल गर्ग,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0—27 हिन्दी गज़ट—भाग 1—2022 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 1 अक्टूबर, 2022 ई० (आश्विन 9, 1944 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

कार्यालय, जिलाधिकारी, झाँसी

आदेश

18 जुलाई, 2022 ई0

सं0 420/12ए-डी0एल0आर0सी0/2022-23–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जूलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित मौजा डिकौली, तहसील गरौठा, जिला झाँसी के प्रबन्ध में निहित थी, अधोहस्ताक्षरी द्वारा फिर से अपने अधिकार में लिया जाता है–

अनुसूची

क्र0सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	गरौठा	गरौठा	डिकौली	570-द	0.226 में से 0.030	6-2 वीहड़	स्वास्थ्य उपकेन्द्र डिकौली के भवन निर्माण हेतु (चिकित्सा विभाग) (निःशुल्क)

सं0 421/12ए-डी0एल0आर0सी0/2022-23—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जूलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित मौजा बुढेराघाट, तहसील मोंठ, जिला झाँसी के प्रबन्ध में निहित थी, अधोहस्ताक्षरी द्वारा फिर से अपने अधिकार में लिया जाता है—

अनुसूची

क्र0सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	झाँसी	मोंठ	मोंठ	बुढेराघाट	192/1/2	हेक्टेयर 0.065 में से 0.032	5-3-ड़ बंजर	स्वास्थ्य उपकेन्द्र बुढेराघाट के भवन निर्माण हेतु (चिकित्सा विभाग) (निःशुल्क)

सं0 422/12ए-डी0एल0आर0सी0/2022-23—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जूलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित मौजा धवारा, तहसील टहरौली, जिला झाँसी के प्रबन्ध में निहित थी, अधोहस्ताक्षरी द्वारा फिर से अपने अधिकार में लिया जाता है—

अनुसूची

क्र0सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	झाँसी	टहरौली	टहरौली	धवारा	259	हेक्टेयर 0.303 में से 0.030	5-3-ड़ बंजऱ	स्वास्थ्य उपकेन्द्र धवारा के भवन निर्माण हेतु (चिकित्सा विभाग) (निःशुल्क)

सं0 423/12ए-डी0एल0आर0सी0/2022-23—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जूलाई, 2020

द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित मौजा रजवारा, तहसील टहरौली, जिला झाँसी के प्रबन्ध में निहित थी, अधोहस्ताक्षरी द्वारा फिर से अपने अधिकार में लिया जाता है–

अनुसूची

क्र0सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	टहरौली	टहरौली	रजवारा	863-ख	2.835 में से 0.030	5-3-ड़ बंजऱ	स्वास्थ्य उपकेन्द्र रजवारा के भवन निर्माण हेतु (चिकित्सा विभाग) (निःशुल्क)

सं0 424/12ए-डी0एल0आर0सी0/2022-23–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धरा 59 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जूलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित मौजा गेवरा, तहसील व जिला झाँसी के प्रबन्ध में निहित थी, अधोहस्ताक्षरी द्वारा फिर से अपने अधिकार में लिया जाता है–

अनुसूची

क्र0सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	गेवरा	415-ख	0.248 में से 0.030	6-4-पत्थर	स्वास्थ्य उपकेन्द्र गेवरा के भवन निर्माण हेतु (चिकित्सा विभाग) (निःशुल्क)

सं0 425/12ए-डी0एल0आर0सी0/2022-23–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धरा 59 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जूलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त

शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित मौजा जरबौ, तहसील व जिला झाँसी के प्रबन्ध में निहित थी, अधोहस्ताक्षरी द्वारा फिर से अपने अधिकार में लिया जाता है–

अनुसूची

क्र0सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	जरबौ	461 / 2	हेक्टेयर 1.575 में से 0.030	5-3-ड़ बंजऱ	स्वास्थ्य उपकेन्द्र जरबौ के भवन निर्माण हेतु (चिकित्सा विभाग) (निःशुल्क)

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी,
झाँसी।

कार्यालय जिलाधिकारी, भदोही

आदेश

16 जुलाई, 2022 ई0

सं0 2587 / डी0एल0आर0सी0 / 2022–शासनादेश संख्या 740 / एक-1-2016-20(5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-744 / एक-1-2016-20(5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उप धारा(4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या–741 / एक-1-2016-20(5)2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मै, आर्यका अखौरी, जिलाधिकारी भदोही, निम्न सूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ–

अनुसूची

क्र0सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	भदोही	भदोही	भदोही	बौरीबोझ	660	हेक्टेयर 0.030	ऊसर	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन (स्वास्थ्य उपकेन्द्र के निर्माण हेतु)

सं0 2588 / डी0एल0आर0सी0 / 2022–शासनादेश संख्या–740 / एक-1-2016-20(5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-744 / एक-1-2016-20(5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उप धारा(4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या–741 / एक-1-2016-20(5)2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, आर्यका

अखौरी, जिलाधिकारी भदोही, निम्न सूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ–

अनुसूची

क्र0सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	भदोही	ज्ञानपुर	भदोही	मंगापट्टी	561-मि0	0.110	ऊसर	जल जीवन मिशन योजना अन्तर्गत (पानी टंकी के निर्माण हेतु)
2				भगवानपुर चौथार	485 486-मि0	0.038 0.013	पुरानी परती नई परती	
					2 किता का योग. .	**0.051**		

सं0 2589/डी0एल0आर0सी0/2022–शासनादेश संख्या–740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उप धारा(4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या–741/एक-1-2016-20(5)2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, आर्यका अखौरी, जिलाधिकारी भदोही, निम्न सूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ–

अनुसूची

क्र0सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	भदोही	ज्ञानपुर	भदोही	मंगापट्टी	561-मि0	0.254	ऊसर	बेसिक शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन (प्राथमिक विद्यालय मंगापट्टी की स्थापना हेतु)

सं0 2590/डी0एल0आर0सी0/2022–शासनादेश संख्या–740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर

प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उप धारा(4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या–741/एक-1-2016-20(5)2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, आर्यका अखौरी, जिलाधिकारी भदोही, निम्न सूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ–

अनुसूची

क्र0सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	भदोही	ज्ञानपुर	भदोही	तिलंगा	625	0.237	नवीनपरती	राजकीय आयुर्वेदिक विभाग, उ0प्र0 शासन (राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्थापना हेतु)

23 जुलाई, 2022 ई0

सं0 2601/डी0एल0आर0सी0/2022–शासनादेश संख्या–740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उप धारा(4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या–741/एक-1-2016-20(5)2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, आर्यका अखौरी, जिलाधिकारी भदोही, निम्न सूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ–

अनुसूची

क्र0सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	भदोही	औराई	भदोही	भवेशपट्टी	186-मि0	0.030	नवीनपरती	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन (स्वास्थ्य उपकेन्द्र के निर्माण हेतु)
2				लोकमनपुर	48-मि0	0.024	नवीनपरती	
3				ततारपुर	201-मि0	0.030	ऊसर	

सं0 2602/डी0एल0आर0सी0/2022—शासनादेश संख्या—740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उप धारा(4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या—741/एक-1-2016-20(5)2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, आर्यका अखौरी, जिलाधिकारी भदोही, निम्न सूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ—

अनुसूची

क्र0सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	भदोही	औराई	भदोही	विशुनपुर	1	705 वर्गमीटर	पुरानी परती	जल जीवन मिशन योजना अन्तर्गत (पानी टंकी के निर्माण हेतु)
2				रामापुर	348	0.107 हे0	ऊसर	

26 जुलाई, 2022 ई0

सं0—2603/डी0एल0आर0सी0/2022—शासनादेश संख्या—740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उप धारा(4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या—741/एक-1-2016-20(5)2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, आर्यका अखौरी, जिलाधिकारी भदोही, निम्न सूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ—

अनुसूची

क्र0सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	भदोही	औराई	भदोही	घोसिया	520-मी0	हेक्टेयर 0.0510	पुरानी परती	गृह (पुलिस) विभाग, उ0प्र0 शासन (पुलिस चौकी घोसिया की स्थापना हेतु)

सं0 2604/डी0एल0आर0सी0/2022—शासनादेश संख्या—740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर

प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उप धारा(4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या–741/एक-1-2016-20(5)2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, आर्यका अखौरी, जिलाधिकारी भदोही, निम्न सूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ–

अनुसूची

क्र0सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 2	भदोही	औराई	भदोही	मर्चवार जाठी	14/5 502	300 वर्गमीटर 0.030 हे0	ऊसर पुरानी परती	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन (स्वास्थ्य उपकेन्द्र के निर्माण हेतु)

सं0 2605/डी0एल0आर0सी0/2022–शासनादेश संख्या–740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उप धारा(4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या–741/एक-1-2016-20(5)2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, आर्यका अखौरी, जिलाधिकारी भदोही, निम्न सूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ–

अनुसूची

क्र0सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	भदोही	औराई	भदोही	मल्लूपुर	432-मि0	850 वर्ग मीटर	ऊसर	जल जीवन मिशन योजना अन्तर्गत (पानी टंकी के निर्माण हेतु)

सं0 2606/डी0एल0आर0सी0/2022–शासनादेश संख्या–740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उप धारा(4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या–741/एक-1-2016-20(5)2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, आर्यका

अखौरी, जिलाधिकारी भदोही, निम्न सूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ।

अनुसूची

क्र0सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	भदोही	औराई	भदोही	परवतपुर	271-मि0	0.025	नवीनपरती	जल जीवन मिशन योजना अन्तर्गत (पानी टंकी के निर्माण हेतु)
					273-मि0	0.057		
					योग..	**0.082**		
2				चकनिरंजन	349	0.078	नवीपरती	
3				नरउर	28-मि0	0.126	ग्रामसभा	
4				कोइलरा	314-मि0	0.126	नवीनपरती	
					योग . .	**0.330**		

आर्यका अखौरी,
जिलाधिकारी,
भदोही।

कार्यालय, जिलाधिकारी, हमीरपुर

निरस्तीकरण

25 जुलाई, 2022 ई0

सं0 1407/डी0एल0आर0सी0-12ए-निरस्तीकरण (2022-23)—मिशन निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक-561/ई-46/2020-21 दिनांक 18 अगस्त, 2020 को प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, लखनऊ के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-1445/76-1-2020-40 सम/2019, दिनांक 14 अगस्त, 2020 के अनुपालन में जनपद हमीरपुर में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 ग्राम बरखेरा गाटा संख्या-8/2 रकबा 0.160 श्रेणी बंजर की भूमि राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0 प्र0 को हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना स्थल बरखेरा के पक्ष में आदेश संख्या-521/डी0एल0आर0सी0-12ए पुनर्ग्रहण नमामि गंगे 2020-21, दिनांक 26 दिसम्बर, 2020 के माध्यम से पुनर्ग्रहण किया गया था परन्तु अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महोबा के द्वारा परियोजना निर्माण से पूर्व विस्तृत स्थली सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि भूमि का लेबिल नीचे एवं लाभान्वित किये जाने वाले क्षेत्र की ऊँचाई अधिक होने के कारण प्रस्तावित अवर जलाशय से पेयजल आपूर्ति नहीं हो पायेगी। तत्क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या-403/डब्लू-27/47 दिनांक 14 सितम्बर, 2021 द्वारा विकास खण्ड सरीला, ग्राम बरखेरा भूमि बंजर भूमि पुनर्ग्रहण आदेश संख्या-521 दिनांक 26 दिसम्बर, 2020 को निरस्त किया जाना है।

अतः विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1551/79-वि-1-20-1(क)-30-20, दिनांक 31 अगस्त, 2020 में उल्लिखित उ0प्र0 राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020 धारा 59 को उपधारा 4 (ग) (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, डा0 चन्द्र भूषण, जिलाधिकारी, हमीरपुर अनुसूची के स्तम्भ 6 में अंकित भूमि गाटा संख्या-8/2

रकवा 0.160 श्रेणी बंजर का पूर्व निर्गत पुनर्ग्रहण आदेश संख्या-521/डी0एस0-12-पुनर्ग्रहण (नमामि गंगे) 2020-21 दिनांक 26 दिसम्बर, 2020 निरस्त करता हूँ–

अनुसूची

क्र0सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	भूमि का मूल्य	प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						हेक्टेयर			
1	हमीरपुर	सरीला	जलालपुर	बरखेरा	8/2	0.160	बंजर	112000	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमांमि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उत्तर प्रदेश से बरखेरा ग्राम समूह पेयजल योजना हेतु।

सं0 1408/डी0एल0आर0सी0-12ए-निरस्तीकरण (2022-23)–मिशन निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक-561/ई-46/2020-21 दिनांक 18 अगस्त, 2020 को प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, लखनऊ के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-1445/76-1-2020-40 सम/2019, दिनांक 14 अगस्त, 2020 के अनुपालन में जनपद हमीरपुर में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 ग्राम भैसाय गाटा संख्या-714/3 रकबा 0.160 हे0 श्रेणी बीहड़ की भूमि राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0 प्र0 को हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना स्थल भैसाय के पक्ष में आदेश संख्या-74/डी0एल0आर0सी0-12ए पुनर्ग्रहण नमामि गंगे 2020-21, दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 के माध्यम से पुनर्ग्रहण किया गया था परन्तु अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महोबा के द्वारा परियोजना निर्माण से पूर्व विस्तृत स्थली सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि भूमि का लेबिल नीचे एवं लाभान्वित किये जाने वाले क्षेत्र की ऊँचाई अधिक होने के कारण प्रस्तावित अवर जलाशय से पेयजल आपूर्ति नहीं हो पायेगी। तत्क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या-403/डब्लू-27/47 दिनांक 14 सितम्बर, 2021 द्वारा विकास खण्ड सरीला, ग्राम भैसाय भूमि बीहड़ पुनर्ग्रहण आदेश संख्या-74/डी0एल0आर0सी0-12ए पुनर्ग्रहण नमामि गंगे 2020-21, दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 को निरस्त किया जाना है।

अतः विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1551/79-वि-1-20-1(क)-30-20, दिनांक 31 अगस्त, 2020 में उल्लिखित उ0प्र0 राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020 धारा 59 को उपधारा 4 (ग) (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, डा0 चन्द्र भूषण, जिलाधिकारी, हमीरपुर अनुसूची के स्तम्भ 6 में अंकित भूमि गाटा संख्या-714/3 रकवा 0.160 श्रेणी बीहड़ का पूर्व निर्गत पुनर्ग्रहण आदेश संख्या-74/डी0एल0आर0सी0-12ए पुनर्ग्रहण नमामि गंगे 2020-21 दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 निरस्त करता हूँ–

अनुसूची

क्र0सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	भूमि का मूल्य	प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						हेक्टेयर			
1	हमीरपुर	सरीला	जलालपुर	भैसाय	174/3	0.160	बीहड़	128000	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उत्तर प्रदेश से भैसाय ग्राम समूह पेयजल योजना हेतु।

सं0 1409/डी0एल0आर0सी0-12ए-निरस्तीकरण (2022-23)—मिशन निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक-561/ई-46/2020-21 दिनांक 18 अगस्त, 2020 को प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, लखनऊ के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-1445/76-1-2020-40 सम/2019, दिनांक 14 अगस्त, 2020 के अनुपालन में जनपद हमीरपुर में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 ग्राम बरखेरा गाटा संख्या-8क रकबा 1.263 हे0 में से 0.160 हे0 श्रेणी बंजर की भूमि राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0 प्र0 को हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना स्थल छेडीबेनी ग्राम बरखेरा के पक्ष में आदेश संख्या-732/डी0एल0आर0सी0-12ए पुनर्ग्रहण नमामि गंगे 2020-21, दिनांक 27 जनवरी, 2021 के माध्यम से पुनर्ग्रहण किया गया था परन्तु अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महोबा के द्वारा परियोजना निर्माण से पूर्व विस्तृत स्थली सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि भूमि का लेबिल नीचे एवं लाभान्वित किये जाने वाले क्षेत्र की ऊँचाई अधिक होने के कारण प्रस्तावित अवर जलाशय से पेयजल आपूर्ति नहीं हो पायेगी। तत्क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या-403/डब्लू-27/47 दिनांक 14 सितम्बर, 2021 द्वारा विकास खण्ड सरीला पेयजल योजना स्थल छेडीबेनी ग्राम बरखेरा बंजर भूमि पुनर्ग्रहण आदेश संख्या-732/डी0एल0आर0सी0-12ए पुनर्ग्रहण नमामि गंगे 2020-21, दिनांक 27 जनवरी, 2021 को निरस्त किया जाना है।

अतः विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1551/79-वि-1-20-1(क)-30-20, दिनांक 31 अगस्त, 2020 में उल्लिखित उ0प्र0 राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020 धारा 59 की उपधारा 4 (ग) (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, डा0 चन्द्र भूषण, जिलाधिकारी, हमीरपुर अनुसूची के स्तम्भ 6 में अंकित भूमि गाटा संख्या-8क रकवा 1.263 हे0 में से 0.160 हे0 श्रेणी बंजर का पूर्व निर्गत पुनर्ग्रहण आदेश संख्या-732/डी0एल0आर0सी0-12ए पुनर्ग्रहण नमामि गंगे 2020-21 दिनांक 27 जनवरी, 2021 निरस्त करता हूँ—

अनुसूची

क्र0सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	भूमि का मूल्य	प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						हेक्टेयर			
1	हमीरपुर	सरीला	जलालपुर	बरखेरा	8-क	1.263 में से 0.160	बंजर	112000	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उत्तर प्रदेश को छेडीबेनी ग्राम समूह पेयजल योजना हेतु।

सं0 1410/डी0एल0आर0सी0-12ए-निरस्तीकरण (2022-23)—मिशन निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक-561/ई-46/2020-21 दिनांक 18 अगस्त, 2020 को प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, लखनऊ के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-1445/76-1-2020-40 सम/2019, दिनांक 14 अगस्त, 2020 के अनुपालन में जनपद हमीरपुर में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 ग्राम बरूवा गाटा संख्या-17 रकबा 0.160 हे0 श्रेणी

नवीन परती की भूमि राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0 प्र0 को पत्योरा डांडा ग्राम समूह पेयजल योजना स्थल बरूवा के पक्ष में आदेश संख्या-2354/डी0एल0आर0सी0-12ए पुनर्ग्रहण नमामि गंगे 2020-21, दिनांक 28 सितम्बर, 2020 के माध्यम से पुनर्ग्रहण किया गया था परन्तु अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महोबा के द्वारा परियोजना निर्माण से पूर्व विस्तृत स्थली सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि भूमि का लेबिल नीचे एवं लाभान्वित किये जाने वाले क्षेत्र की ऊँचाई अधिक होने के कारण प्रस्तावित अवर जलाशय से पेयजल आपूर्ति नहीं हो पायेगी। तत्क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या-247/डब्लू-26/247 दिनांक 26 अगस्त, 2021 द्वारा विकास खण्ड सुमेरपुर, ग्राम बरूवा भूमि नवीन परती पुनर्ग्रहण आदेश संख्या-2354/डी0एल0आर0सी0-12ए पुनर्ग्रहण नमामि गंगे 2020-21 दिनांक 28 सितम्बर, 2020 को निरस्त किया जाना है।

अतः विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1551/79-वि-1-20-1(क)-30-20, दिनांक 31 अगस्त, 2020 में उल्लिखित उ0प्र0 राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020 धारा 59 को उपधारा 4 (ग) (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, डा0 चन्द्र भूषण, जिलाधिकारी, हमीरपुर अनुसूची के स्तम्भ 6 में अंकित भूमि गाटा संख्या-17 रकवा 0.160 हे0 श्रेणी नवीन परती का पूर्व निर्गत पुनर्ग्रहण आदेश संख्या-2354/डी0एल0आर0सी0-12ए पुनर्ग्रहण नमामि गंगे 2020-21, दिनांक 28 सितम्बर, 2020 निरस्त करता हूँ।

अनुसूची

क्र0सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	भूमि का मूल्य	प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						हेक्टेयर			
1	हमीरपुर	हमीरपुर	सुमेरपुर	बरूवा	17	0.160	नवीन परती	160000	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उत्तर प्रदेश से बरूवा पेयजल योजना हेतु।

डा0 चन्द्र भूषण,
जिलाधिकारी,
हमीरपुर।

कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

31 अगस्त, 2022 ई0

सं0 4063/जी0-159/2022-23/धारा–52(1)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी

गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना सिकन्दराराऊ, जनपद हाथरस के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

अनुसूची

क्र0	जनपद का नाम	तहसील/परगना	ग्राम का नाम
1	2	3	4
1	हांथरस	सिकन्दरामऊ	1—पिछौती 2—नगला शेखा

सं0-4064/जी0-228/2019-20—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना गोण्डा, जनपद गोण्डा के ग्राम पहड़वा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-4065/जी0-215/2022-23—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील तिलहर, परगना निगोही, जनपद शाहजहांपुर के ग्राम बझेड़ा—बझेड़ी में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-4066/जी0-154/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना पटियाली, जनपद काशगंज के ग्राम चौडियाई में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

12 सितम्बर, 2022 ई0

सं0—4209/जी0-176A/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0- 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील चकिया, परगना केरामगरौर, जनपद चन्दौली के ग्राम मलहर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0—4210/जी0-228/2022-23—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना गोण्डा, जनपद गोंण्डा के ग्राम पकड़ी कैसवार में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0–4212/जी0-175/2021-22–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील मुहम्दाबाद गोहना, परगना चिरैयाकोट, जनपद मऊ के ग्राम सरसेना में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

रणवीर प्रसाद,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0–27 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2022 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 1 अक्टूबर, 2022 ई० (आश्विन 9, 1944 शक संवत्)

भाग 7-ख

इलेक्शन कमीशन आफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां।

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख — 01 सितम्बर 2022 ई0 / 10 भाद्र, 1944 (शक)

अधिसूचना

सं0 82/उ0प्र0–लो0स0/11/2019(इला0)–लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 की 43) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, वर्ष 2019 की निर्वाचन याचिका संख्या 11 में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के दिनांक 20 मई, 2022 के निर्णय को एतद्द्वारा प्रकाशित करता है।

आदेश से,
अमित कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated the — 1st *September*, 2022 / 10th *Bhadra*, 1944 (*Saka*).

NOTIFICATION

No. 82/UP-HP/11/2019(Alld.)–In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the Judgement, dated 20th May, 2022 of the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad in Election Petition No. 11 of 2019.

By order,
AMIT KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
Election Petition No. 11 of 2019.
(*Under Sections* 80, 80-A/81 *of the Representation of People Act, 1951*)
District : Bhadohi.

Rangnath Mishra,
S/o Late Keshav Prasad Mishra,
R/o House No. 24, Village-Bhikharipur,
Post-Bhadohi Station Road, Bhadohi,
District Bhadohi.

. . ***Election Petitioner.***

VERSUS

Shri Ramesh Chand,
S/o Shri Ram Chandar,
R/o Village-Etawan,
Post-Amoi, District Mirzapur.

. . ***Respondent.***

Court No. - 3

Case :- ELECTION PETITION No. - 11 of 2019

Petitioner :- Rangnath Mishra

Respondent :- Shri Ramesh Chand

Counsel for Petitioners :- Man Mohan Mishra, N. K. Pandey, Narendra Kumar Pandey, Rangnath Mishra (In Person)

Counsel for Respondent :- Manish Goyal (Senior Adv.), Brajesh Pratap Singh, K. R. Singh, P. K. Singhal.

Hon'ble Surya Prakash Kesarwani, *J.*

None appears for the Election Petitioner even in the revised call.

Sri Manish Goyal, learned Senior Advocate, assisted by Sri Brajesh Pratap Singh, learned cousel for the respondent/winning candidate is present.

Also on the last date *i.e.* on 13-05-2022 none appeared for the Election Petitioner to press the Election Petition.

In view of the aforesaid, the Election Petition is dismissed for non prosecution.

(*Sd.*) SURYA PRAKASH KESARWANI, *J.*

Order Date : 20.05.2022/vkg

By order,
AMIT KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

पी0एस0यू0पी0—27 हिन्दी गजट—भाग 7-ख—2022 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।
पी0एस0यू0पी0—11 निर्वाचन—26-09-2022—27 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 07 सितम्बर, 2022 ई0 / 16 भाद्र, 1944 (शक)

अधिसूचना

सं0 82/उ0प्र0–वि0स0/4/2017(इला0)–लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 की 43) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, वर्ष 2017 की निर्वाचन अर्जी संख्या 4 में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के दिनांक 20 जुलाई, 2022 के निर्णय को एतद्द्वारा प्रकाशित करता है।

आदेश से,
अमित कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated the 7th *September*, 2022 / 16th *Bhadra*, 1944 (*Saka*).

NOTIFICATION

No. 82/UP-LA/4/2017(Alld.)–In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the Judgement, dated 20th July, 2022 of the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad, Allahabad in Election Petition No. 4 of 2017.

By order,
AMIT KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
Election Petition No. 4 of 2017.
(*Under Section* 80/81 *of Representation of the People Act, 1951*)
District : Firozabad.

Jay Veer Singh,
S/o Sri Ved Pal Singh,
Resident of Village and Post-Karhara, Tehsil-Sirsaganj,
District-Firozabad.

. . ***Petitioner.***

VERSUS

Hari Om Yadav,
Son of Sri Daya Ram Yadav,
Resident of Village and Post-Garhsaan,
Tehsil-Sirsaganj, District-Firozabad.

. . ***Respondent.***

Court No. - 45

Case :- ELECTION PETITION No. - 4 of 2017

Petitioner :- Jay Veer Singh

Respondent :- Hari Om Yadav

Counsel for Petitioner :- Jaiveer Singh (In Person) K. R. Singh

Counsel for Respondent :- Shivam Yadav

Hon'ble Manoj Mishra, *J.*

The case has been called out. None is present for the Election Petitioner and the returned candidates' counsel has sent illness slip.

This matter was last taken up on 8th December, 2021, Since then the assembly elections have already been held and a fresh assembly has been constituted. It appears that none is interested to press this election petition.

In view of the above the same is dismissed for non-prosecution.

(*Sd.*) MANOJ MISRA, *J.*

Order Date : 20.07.2022

By order,
AMIT KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

पी0एस0यू0पी0—27 हिन्दी गजट—भाग 7-ख—2022 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।
पी0एस0यू0पी0—10 निर्वाचन—26-09-2022—27 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 1 अक्टूबर, 2022 ई० (आश्विन 9, 1944 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय नगर निगम, मुरादाबाद

तम्बाकू उत्पाद नियंत्रण लाईसेंस उपविधि 2019

पत्र संख्या 95/स्वा0वि0/न0नि0मु0/2020–21 दिनांक 17 फरवरी, 2021 के द्वारा कोटपा के अन्तर्गत तम्बाकू विक्रेताओं के उत्पाद लाईसेंस शुल्क का निर्धारण विनियमन और नियन्तत्र एवं अनुज्ञाप्ति शुल्क हेत उपविधि 2020 बनायी गई है। नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) की धारा 437, 438 (1) 438 व 541, 542, एवं 543 में, प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत नगर निगम मुरादाबाद सीमान्तर्गत में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री हेतु लाईसेन्स शुल्क व निर्धारण, विनियमन और नियन्तत्र एवं अनुज्ञप्ति शुल्क हेतु नगर निगम मुरादाबाद अधिनियम की धारा 541 (20) के अन्तर्गत उपविधि 2020 का ड्राफ्ट तैयार किया गया है।

नगर निगम मुरादाबाद द्वारा कोटपा के अन्तर्गत तम्बाकू विक्रेताओं के उत्पाद लाईसेंस शुल्क का निर्धारण विनियमन और नियन्तत्र एवं अनुज्ञाप्ति शुल्क हेत उपविधि 2020 बनायी गयी है। नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2–सन् 1959) की धारा 437,438 (1) 438 व 541, 542, एवं 543 में, प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत नगर निगम मुरादाबाद सीमान्तर्गत में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री हेतु लाईसेन्स शुल्क व निर्धारण, विनियमन और नियन्तत्र एवं अनुज्ञप्ति शुल्क हेतु नगर निगम मुरादाबाद अधिनियम की धारा 541 (20) के अन्तर्गत उपविधि 2020 का ड्राफ्ट तैयार किया गया है।

उक्त उपविधि समाचार-पत्रों हिन्दुस्तान/उत्तर केसरी में प्रकाशित कर आपत्तियॉ एवं सुझाव आमंत्रित की गई थी। इसके प्रकाशन तिथि से निर्धारित समय अवधि 15 दिवस के भीतर कोई आपत्तियॉ/सुझाव कार्यालय को प्राप्त नही हुये। इसके उपरान्त नगर निगम मुरादाबाद द्वारा गजट प्रकाशन कराया जाना है। यह उपविधि (नियमावली) सरकारी गजट के प्रकाशन दिनांक से प्रभावी होगी।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :–(1) यह उपविधि नगर निगम मुरादाबाद (तम्बाकू उत्पादों) की बिक्री हेतु लाईसेन्स शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क) उपविधि, 2019 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार नगर निगम मुरादाबाद के सम्पूर्ण क्षेत्र में होगा।

(3) यह उपविधि गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगी।

2. **तम्बाकू वेण्डर लाईसेंसिंग के लिए योग्यता** :–(1) वह भारत का नागरिक हो।

(2) आवेदनकर्ता की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है।

(3) दुकानदार के नाम का आधार कार्ड अनिवार्य है, मुरादाबाद से बाहर का आधार कार्ड होने की स्थिति में स्थानीय पार्षद से सत्यापन आवश्यक होगा।

(4) आवेदनकर्ता की तम्बाकू की दुकान किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज की परिधि में नही होनी चाहिए।

(5) आवेदनकर्ता स्थायी एवं स्ट्रीट वेण्डिग नीति के अन्तर्गत अस्थायी/गुमटी/दुकानदार भी हो सकता है। उक्त के अतिरिक्त नगर निगम सीमा के अन्तर्गत स्ट्रीट वेण्डिंग नीति के अन्तर्गत अस्थायी दुकान हो सकती है।

3. वार्षिक पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क :–(1) तम्बाकू, विक्रताओं का पंजीकरण एक वर्ष के लिए ही मान्य होगा, तत्पश्चात् लाईसेंस का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। स्ट्रीट वेण्डिंग नीति के अन्तर्गत फुटपाथ पर गुमटी एवं अस्थायी दुकानों हेतु वार्षिक पंजीकरण शुल्क रू0 300.00 स्थायी दुकानों हेतु रू0 1,500.00 एवं थोक स्थायी दुकानदारों के लिए रू0 10,000.00 होगा।

(2) एक वर्ष के उपरान्त नवीनीकरण शुल्क थोक विक्रेता के लिए रू0 5,000.00 फुटकर स्थायी विक्रेताओ के लिए रू0 1,000.00 एवं फुटपाथ पर गुमटी और अस्थाई दुकानों हेतु रू0 200.00 होगा।

(3) उक्त धनराशि आवेदनकर्ता द्वारा पंजीकरण के समय ही देय होगी।

4. **तम्बाकू, नियंत्रण कानून एवं अधिनियम का अनुपालन** :– पंजीकृत तम्बाकू विक्रताओं को निम्नलिखित का अनुपालन अनिवार्य होगा :–

(1) शैक्षिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में कोई भी तम्बाकू उत्पाद की दुकान संचालित नहीं की जायेगी।

(2) तम्बाकू विक्रेता द्वारा कोटपा की धारा 5 के अन्तर्गत साईनेज लगाना अनिवार्य होगा।

(3) तम्बाकू विक्रेता को कोटपा की धारा 6–अ के अनुसार 21 वर्ष से कम के व्यक्ति तम्बाकू का उत्पाद व बिक्री नही करेगा और न ही 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तम्बाकू की बिक्री की जायेगी।

(4) दुकान पर खुली सिगरेट की बिक्री प्रतिबंधित होगी।

5. नियम एवं शर्ते :–(1) तम्बाकू विक्रेताओं का पंजीकरण एक वर्ष के लिए ही मान्य होगा। तत्पश्चात् लाईसेंस का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। बिना लाईसेंस के तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचे जायेंगे।

(2) पंजीकृत दुकानदार सिर्फ और सिर्फ तम्बाकू उत्पादों की ही बिक्री करेगा।

(3) एक व्यक्ति एक लाईसेंस की प्रक्रिया अपनायी जायेगी। दिया गया लाईसेंस अस्थानान्तरणीय होगा।

(4) एक लाईसेंस एक दुकान के लिये ही मान्य होगा।

(5) किन्हीं परिस्थितियों में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, माननीय न्यायालय, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम अथवा अन्य विभागों के द्वारा जारी नियम और कानून में कोई परिवर्तन अथवा संशोधन अथवा उसके दिशा–निर्देश का अनुपालन पंजीकृत दुकानदारों द्वारा अनिवार्य होगा।

(6) तम्बाकू उत्पाद की बिक्री हेतु देय लाईसेंस के नियमों के उल्लंघन होने की स्थिति में लाईसेंस धारक को पहले संबंधित अधिकारी द्वारा चेतावनी दे दी जायेगी। लाईसेंस धारक द्वारा उल्लंघन जारी रखने पर नगर निगम मुरादाबाद द्वारा निलंबन कार्यवाही की जायेगी। फिर भी उल्लंघन जारी रखने की दशा में लाईसेंस रद्द किया जा सकता है। एक बार लाईसेंस रद्द होने पर दोबारा लाईसेंस होने की प्रक्रिया पर विचार नही किया जायेगा।

(7) तम्बाकू बिक्री लाईसेंस धारक के अतिरिक्त कोई अन्य कामर्शियल माल, थोक बाजार, बिग बाजार, स्पेन्सर्स, जनरल मर्चेन्ट, किराना दुकान आदि तम्बाकू उत्पादों की बिक्री नही कर पायेगा। इसमें वे दुकानें भी सम्मिलित होगी, जो गुमटी लगाते है। उक्त के उल्लंघन होने पर प्रथम बार रू0 2,000.00 जुर्माना व सामग्री जब्त, दूसरी बार, रू0 3,000.00 व सामग्री जब्त, तीसरी बार रू0 5,000.00 सामग्री जब्त व प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी।

(8) लाईसेंस धारक विक्रेता केवल भारतीय तम्बाकू उत्पादों जिस पर सचित्र चेतावनी अंकित होगी एवं भारत सरकार के आयात नियमों के अन्तर्गत आयातित तम्बाकू उत्पादों, की ही बिक्री करेगा।

6. **पंजीकरण प्रक्रिया** :–(1) नगर निगम मुरादाबाद में तम्बाकू उत्पादों के व्यापासर एवं मानवीय इस्तेमाल पर निर्बधन और शर्तो के अनुरूप अनुज्ञप्ति लाईसेंस जारी करने के सम्बंध में जोनल अधिकारी नामित अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे जो अपर नगर आयुक्त के निर्देशन में कार्य करेंगे।

(2) तम्बाकू विक्रेताओं को नगर निगम मुरादाबाद के द्वारा निर्धारित आवेदन फार्म संख्या–22 पर जोनवार आवेदन करना होगा।

(3) प्राप्त आवेदनों को जांचोपरान्त सही पाये जाने पर पंजीकरण प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।

(4) अपूर्ण आवेदन स्वतः निरस्त माने जायेंगे।

(5) प्रमाण-पत्र पर नामित अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ बार कोड अथवा मोहर या होलोग्राम होगा।

(6) जारी प्रमाण-पत्र को दुकान पर चस्पा करना अनिवार्य होगा।

(7) पंजीकरण के संदर्भ में नगर निगम मुरादादाबाद द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

7. **नामित अधिकारी** :–नगर निगम मुरादाबाद में तम्बाकू उत्पादों के व्यापार एवं मानवीय इस्तेमाल पर निर्बन्धन और शर्तो के अनुरूप अनुज्ञप्ति/लाईसेंस जारी करने हेतु वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी अथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अधिकारी अनुज्ञप्ति/लाईसेंसिंग अधिकारी होंगे। साथ ही मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक उपरोक्त निर्बधंन एवं शर्तो के अधीन आवेदन प्राप्त होने के 7 कार्य दिवस में अनुज्ञप्ति/लाइसेन्स की कार्यवाही पूर्ण कर नामित अधिकारी के समक्ष पत्रावली प्रस्तुत करेंगे जिसमें नामित अधिकारी द्वारा 15 दिवस में नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा।

8. **वेंडर लाईसेंस लागू करने की समयावधि** :–उपरोक्त नियमावली मा0 सदन के अनुमोदन एवं विधिक सरकारी गज़ट प्रकाशित होने की दिनांक से लागू होगा।

उपरोक्त नियमावली मा0 सदन के समक्ष इस अनुरोध के साथ प्रेषित करने कि सदन के अनुमोदन उपरान्त समस्त कार्यवाही नगर आयुक्त नगर निगम मुरादाबाद के स्तर से पूर्ण की जायें। अनुमोदनार्थ प्रेषित की जानी है। यदि महोदय सहमत हो, तो मा0 सदन के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु ड्राफ्ट सादर प्रेषित है।

नगर निगम, मुरादाबाद।

खुदरा तम्बाकू विक्रय केन्द्र के लाइसेंस हेतु प्रार्थना-पत्र का प्रारूप

1 नाम	:	.....
2 पिता/पति का नाम	:	.....
3 जन्मतिथि	:	.....
4 योग्यता	:	.....
5 निवास स्थान	:	.....
6 आधार कार्ड नम्बर	:	.....
7 विक्रय केन्द्र हेतु प्रस्तावित जगह	:	.....
8 लाइसेंस जारी करने का वर्ष	:	.....
9 प्रस्तावित दुकान की स्कूल से दूरी/दूसरी तम्बाकू की दुकान से दूरी।	:	.....

नियम एवं शर्तें :–

1. तम्बाकू वेण्डर लाईसेंसिंग के लिए योग्यता :–

(1) वह भारत का नागरिक हो।

(2) आवेदनकर्ता की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है।

(3) दुकानदार के नाम का आधार कार्ड अनिवार्य है, मुरादाबाद से बाहर का आधार कार्ड होने की स्थिति में स्थानीय पार्षद से सत्यापन आवश्यक होगा।

(4) आवेदनकर्ता की तम्बाकू की दुकान की दुकान से व किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 मी0 की परिधि में नही होनी चाहिए।

(5) आवेदनकर्ता स्थायी एवं स्ट्रीट वेण्डिग नीति के अन्तर्गत अस्थायी/गुमटी/दुकानदार भी हो सकता है। उक्त के अतिरिक्त नगर निगम सीमा के अन्तर्गत स्ट्रीट वेण्डिंग नीति के अन्तर्गत अस्थायी दुकान हो सकती है।

—:: घोषणा ::—

मै, ... पुत्र ..... घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी सभी जानकारियां सत्य है और इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

दिनांक : .....

स्थान : .....

प्रार्थी का हस्ताक्षर

.....

प्रार्थी का पता

.....

मोबाईल नम्बर

नगर निगम, मुरादाबाद

खुदरा तम्बाकू विक्रय केन्द्र के लाइसेंस नवीनीकरण हेतु आवेदन

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, मुरादाबाद।

प्रार्थी ..... पिता/पति का नाम ..... निवासी ....., उपरोक्त पिछले एक वर्ष से खुदरा तम्बाकू विक्रय केन्द्र लाईसेंस नम्बर ..... स्थान ..... पर सफलता पूर्वक चला रहा है और इस अवधि में उसके विरूद्व न कोई शिकायत की गयी न ही आवेदक ने तम्बाकू से सम्बंधित किसी भी नियम/कानून का उल्लंघन किया है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी के लाईसेंस नम्बर ..... को अगले एक वर्ष हेतु नवीनीकरण करने का कष्ट करें। इस सम्बंध में प्रार्थी ने लाइसेंस शुल्क नगर निगम में जमा कर दिया है जिसकी रसीद की एक प्रति इस आवेदन के साथ संलग्न है।

1. नियम एवं शर्तें :—

(1) तम्बाकू विक्रेताओं का पंजीकरण एक वर्ष के लिए ही मान्य होगा। तत्पश्चात् लाईसेंस का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। बिना लाईसेंस के तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचे जायेंगे।

(2) पंजीकृत दुकानदार सिर्फ और सिर्फ तम्बाकू उत्पादों की ही बिक्री करेगा।

(3) एक व्यक्ति एक लाईसेंस की प्रक्रिया अपनायी जायेगी। दिया गया लाईसेंस अस्थानान्तरणीय होगा।

(4) एक लाईसेंस एक दुकान के लिये ही मान्य होगा।

(5) किन्हीं परिस्थितियों में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, माननीय न्यायालय, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम अथवा अन्य विभागों के द्वारा जारी नियम और कानून में कोई परिवर्तन अथवा संशोधन अथवा उसके दिशा-निर्देश का अनुपालन पंजीकृत दुकानदारों द्वारा अनिवार्य होगा।

(6) तम्बाकू उत्पाद की बिक्री हेतु देय लाईसेंस के नियमों के उल्लंघन होने की स्थिति में लाईसेंस धारक को पहले संबंधित अधिकारी द्वारा चेतावनी दे दी जायेगी। लाईसेंस धारक द्वारा उल्लंघन जारी रखने पर नगर निगम मुरादाबाद द्वारा निलंबन कार्यवाही की जायेगी। फिर भी उल्लंघन जारी रखने की दशा में लाईसेंस रद्द किया जा सकता है। एक बार लाईसेंस रद्द होने पर दोबारा लाईसेंस होने की प्रक्रिया पर विचार नही किया जायेगा।

(7) लाईसेंस धारक विक्रेता केवल भारतीय तम्बाकू उत्पादों जिस पर सचित्र चेतावनी अंकित होगी एवं भारत सरकार के आयात नियमों के अन्तर्गत आयातित तम्बाकू उत्पादों, की ही बिक्री करेगा।

स्थान :
दिनांक :

प्रार्थी के हस्ताक्षर

ह0 (अस्पष्ट)
नगर आयुक्त,
नगर निगम, मुरादाबाद।

कार्यालय, नगर पालिका परिषद समथर (झांसी)

29 जुलाई, 2022

सं0 192/न0पा0परि0समथर/उपविधि/2022-23—उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगरपालिका परिषद् समथर, झांसी के द्वारा सीमान्तर्गत निवासियों के स्वास्थ्य सुरक्षा और सुविधा की अभिवृद्धि या उनके अनुरक्षण के प्रयोजनार्थ और इस अधिनियम के अधीन विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2021 प्रस्तावित करती है। उपरोक्त नियमावली को धारा 301 के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात् किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति समूह को आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव उपरोक्त नियमावली के प्रकाशन तिथि के 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत कर सकता है। उपरोक्त निर्धारित अवधि के बाद किसी आपत्ति एवं सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा नगरपालिका परिषद् समथर द्वारा उक्त विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली के प्रकाशन के उपरान्त जो भी आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त होंगे, उन आपत्तियों एवं सुझावों पर गहन विचार विमर्श करने के उपरान्त नियमानुसार उन आपत्तियों का निस्तारण करके अन्तिम रूप प्रदान करने के पश्चात् उक्त ''विविधकर (शुल्क) उपविधि'' कहलायेगी। यदि पूर्व में इस सम्बन्ध में कोई भी उपविधि लागू है तो उसे निरस्त समझा जाये। यह उपविधि गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

" विविधकर शुल्क उपविधि " नियमावली, 2021

उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 जो नगरपालिका परिषद् पर प्रवृत्त है, के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगरपालिका परिषद् समथर, झांसी में यह उपविधि विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2021 कहलायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है—

1—विविधकर शुल्क की दरें—

(1) नकल शुल्क तत्काल बनवाये जाने पर रु0 150.00 प्रति नकल, सामान्य नकल रु0 100.00 प्रति नकल।

(2) अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क रु0 200.00 प्रति प्रमाण-पत्र।

(3) अन्य प्रमाण-पत्र शुल्क रु0 100.00 प्रति प्रमाण-पत्र।

(4) रिकार्ड मुआयना शुल्क रु0 100.00 प्रति प्रकरण।

(5) सार्वजनिक जगह पर गन्दगी फैलाने पर दण्ड शुल्क रु0 200.00।

(6) सार्वजनिक जगह पर गन्दगी फैलाने की पुनरावृत्ति करने पर दण्ड शुल्क रु0 500.00।

(7) सड़क किनारे मलवा डालने जैसे-निर्माण सामग्री, सड़क भाग फुटपाथ नाली के ऊपर अतिक्रमण करने पर दण्ड शुल्क रु0 500.00, प्रति करण पुनरावृत्ति करने पर रु0 1,000.00।

(8) 50 माईक्रॉन से कम पॉलीथीन का प्रयोग करने पर दण्ड शुल्क रु0 100.00, पुनरावृत्ति करने पर पैनाल्टी (दण्ड शुल्क) रु0 500.00।

(9) वाटर टैंकर पालिका सीमान्तर्गत (व्यक्तिगत घरेलू उपयोग हेतु) शुल्क रु0 400.00 प्रति टैंकर।

(10) वाटर टैंकर उपयोग (पालिका सीमान्तर्गत) व्यावसायिक कार्य हेतु शुल्क रु0 800.00 प्रति टैंकर प्रति चक्कर एवं रु0 200.00 रजि0 अतिरिक्त शुल्क लगेगा।

(11) किसी जे0सी0बी0 मशीन किराये पर उपयोग हेतु पालिका सीमान्तर्गत शुल्क रु0 1,000.00 प्रति घण्टा। विशेष परिस्थिति में पालिका सीमा के बाहर 05 किमी0 तक किराये पर लेने पर डीजल का अतिरिक्त शुल्क लिया जायेगा।

(12) सीवर टैंक की सफाई हेतु सीवर सेक्शन मशीन पालिका सीमान्तर्गत शुल्क रु0 3,000.00 प्रथम चक्कर, पुनः उपयोग हेतु शुल्क रु0 2,500.00 प्रति चक्कर।

(13) पालिका सीमान्तर्गत डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन नगर पालिका परिषद् समथर द्वारा अनुबन्धित संस्था को देने पर यूजर चार्ज के रूप में आवासीय प्रत्येक घर से शुल्क रु0 30.00 प्रति माह, गेस्ट हाऊस/बारात घर शुल्क रु0 1,000.00 प्रति माह बुकिंग होगा।

(14) सभी प्रकार के घरेलू पालतू जानवर खुला छोड़ने अथवा पकड़े जाने पर शुल्क रु0 500.00 प्रति दिन दुबारा पकड़े जाने पर शुल्क रु0 1,000.00 जमा करना होगा।

(15) नगर पालिका की सीमा स्थित मकान में निजी समरसेबिल पम्प लगाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु शुल्क रु0 2,000.00 व्यावसायिक भवन में शुल्क रु0 5,000.00।

(16) नगर पालिका सीमान्तर्गत भवन निर्माण मानचित्र स्वीकृति हेतु निम्न प्रकार से शुल्क देय होगा–

(क) आवासीय भवन हेतु रु0 70.00 प्रति वर्गमीटर की दर से देय होगा।

(ख) अनावासीय भवन/क्षेत्र हेतु रु0 120.00 प्रति वर्गमीटर की दर से देय होगा।

(ग) व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स/होटल/बारात घर हेतु रु0 150.00 प्रति वर्गमीटर की दर से देय होगा।

(घ) श्रम विभाग उ0प्र0 के अर्ध शा0 प0 संख्या 3056 दिनांक 20 जून, 2016 के द्वारा निर्गत पत्र क्रम में नियमतः 10 लाख से अधिक निजी आवासीय/अनावासीय भवनों एवं अन्य निर्माणों (लागत की सीमा निर्धारित नहीं है) के मानचित्र स्वीकृत करते समय 1 प्रतिशत के समतुल्य उपकर की धनराशि जमा करना होगा।

2–**नामान्तरण शुल्क**–

1–विरासतन/रजिस्टर्ड वसीयत/न्यायालय निर्णय/रजिस्टर्ड दान-पत्र के आधार पर नामान्तण शुल्क मय प्रकाशन रु0 1,000.00–

(1) रु0 01 से रु0 99,999 बाजारू मालियत बैनामा नामान्तरण शुल्क रु0 1,000.00।

(2) रु0 1,00,000 से रु0 2,99,999 बाजारू मालियत बैनामा नामान्तरण शुल्क रु0 2,000.00।

(3) रु0 3,00,000 से रु0 5,99,999 बाजारू मालियत बैनामा नामान्तरण शुल्क रु0 3,000.00।

(4) रु0 6,00,000 से रु0 14,99,999 बाजारू मालियत बैनामा नामान्तरण शुल्क रु0 6,000.00।

(5) रु0 15,00,000 से अधिक बाजारू मालियत बैनामा नामान्तरण शुल्क रु0 10,000.00।

(6) नगरपालिका समथर की अपनी सम्पत्ति/जायजाद/दुकानों के सम्बन्ध में निर्धारित शुल्क देय होगा।

(क) नामान्तरण शुल्क रु0 50,000,00 प्रति प्रकरण।

(ख) पुर्ननिर्माण शुल्क रु0 25,000,00 प्रति प्रकरण।

(ग) ऊपरी मंजिल पर निर्माण शुल्क रु0 50,000.00 प्रति प्रकरण।

(घ) ऊपर अंकित विभिन्न स्वीकृत पर पूर्व किराये में 50 प्रतिशत की वृद्धि अन्य स्थिति में किराये में वृद्धि दो गुनी से अधिक भी की जा सकती है।

(ङ) सामान्यतः किराये में प्रत्येक दो वर्षों में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

3–**पार्किंग शुल्क**–

नगरपालिका सीमान्तर्गत पार्किंग ठेका/पार्किंग शुल्क की दरें–

(1) साईकिल रु0 5.00 प्रति साईकिल प्रतिदिन स्टैण्ड पर रखने पर।

(2) दो पहिया वाहन स्कूटर/मोटर साईकिल इत्यादि रु0 10.00 प्रति वाहन स्टैण्ड पर रखने पर।

(3) चार पहिया (फोर व्हीलर) वाहन, कार इत्यादि रु0 20.00 प्रति वाहन स्टैण्ड पर रखने पर प्रतिदिन

(4) तीन पहिया वाहन, मोटर चलित विक्रम, थ्री-व्हीलर, अप्पे आदि ट्रैक्टर ट्राली सहित वाहन रु0 15.00 प्रति वाहन प्रतिदिन।

(5) चार पहिया वाहन, मोटर चलित वाहन (मेटाडोर, मिनी बस, हल्के वाहन) रु0 30.00 प्रति वाहन प्रतिदिन।

(6) बड़े वाहन बस/ट्रक इत्यादि रु0 50.00 प्रति वाहन प्रतिदिन।

4–**विज्ञापन पर कर**–

सचिव उ0प्र0 शासन, नगर विकास अनुभाग-9 शासनादेश संख्या 618/नौ-9-2012-277ज/2011, दिनांक 05 अप्रैल, 2012 के द्वारा विज्ञापन/प्रचार के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

(क) विज्ञापन एवं विज्ञापन पट्ट के लिये ऐसे स्थल चिन्हित किये जायेंगे जो प्रत्येक स्थिति में निरापद, निर्बाध, आवागमन और सुगम यातायात के लिये सर्वथा उपर्युक्त हो।

(ख) विज्ञापन पट्टों की सुदृढ़ता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित् की जायें, ताकि कोई दुर्घटना ना होने पाये।

(ग) विज्ञापन को वृक्षों, बल्लियों, बांस या लकड़ी से बांधा नहीं जायेगा इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाये कि विज्ञापन के आस-पास कलात्मक सौन्दर्य नष्ट न हो और लोक सम्पत्ति किसी प्रकार विरूपित न हो और न ही नष्ट हो।

(घ) 1–विज्ञापन शुल्क प्रति वर्गफुट रु0 8.00 प्रतिमाह।

2–ग्लोसाइन बोर्ड/साइन बोर्ड/विज्ञापन पट प्रति वर्गफुट रु0 8.00 प्रतिमाह।

3–क्यास/वाल पेन्टिंग प्रति वर्गफुट रु0 8.00 प्रतिमाह।

4–बैनर आदि प्रति वर्गफुट रु0 5.00 प्रतिमाह।

5–यूनीपोल विज्ञापन पट प्रति वर्गफुट रु0 5.00 प्रतिमाह।

6–कैनोपी (छतरी) रु0 200.00 प्रतिदिन।

7–गुब्बारे (एअर वैलून) रु0 200.00 प्रतिदिन।

8–वाहनों पर रु0 100.00 प्रतिदिन।

9–पोस्टर रु0 200.00 प्रति सैकड़ा।

10–पर्चा (हैण्ड बिल) रु0 300.00 प्रति हजार।

11–इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल माध्यम के विज्ञापन प्रति वर्गफुट रू0 10.00 प्रतिमाह।

12–अन्य प्रकार के विज्ञापन की दर ऊपर निर्धारित दरों के सापेक्ष देय होगी।

(ङ) किसी भी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी भी दशा में जनहित व निकायहित के प्रतिकूल ही होने चाहिये और उसमें सम्प्रदर्शित विज्ञापन किसी प्रकार से अशिष्ट, अश्लील, स्वास्थ्य के लिये हानिकारक, किसी भी धर्म अथवा समुदाय की भावनाओं के प्रतिकूल एवं आपत्तिजनक प्रवृत्ति के नहीं होने चाहिये।

5–**डिश एन्टीना शुल्क**–

(1) नगरपालिका परिषद् समथर के सीमान्तर्गत डिश एन्टिना के माध्यम से टी0वी0 प्रसारण किया जाता है, या डिश एन्टिना का व्यवसाय किया जाता है।

(2) प्रत्येक डिश एन्टिना स्वामी/साझेदार पर उनके लिये दिये गये कनेक्शन पर प्रति कनेक्शन शुल्क रु0 20.00 प्रतिमाह लिया जायेगा।

(3) डिश एन्टिना स्वामी माह के अन्तिम सप्ताह में संचालित कनेक्शन की सूची अनिवार्य रूप से पालिका में उपलब्ध करायेगा।

(4) कनेक्शनों की जांच/निरीक्षण पालिका के अधिकृत अधिकारी द्वारा कभी भी किया जा सकता है।

(5) केबिल तार इस प्रकार से लगाया जाये जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना/विद्युत् आपूर्ति में बाधा की समस्या न हो।

6—शहरी फेरी नीति के अन्तर्गत निर्धारित बाजार क्षेत्र में लगाई जाने वाली दुकानों से नगरपालिका परिषद् समथर द्वारा बाजार हेतु चिन्हित दुकानों से रु0 10.00 प्रति बाजार की दर से एवं बड़ी दुकानों से रु0 20.00 प्रतिदिन प्रति बाजार शुल्क वसूली की जायेगी तथा भविष्य में पालिका में वेडिंग जोन/बाजार हेतु चिन्हित होने वाले स्थलों पर भी शहरी फेरी नीति के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार शुल्क की दरें प्रभावी मानी जायेगी। शहरी फेरी नीति के अन्तर्गत चिन्हित बाजार क्षेत्र में वसूली या भविष्य में बाजार क्षेत्र हेतु चिन्हित होने वाले अन्य स्थलों पर शुल्क की वसूली सरकारी कर्मियों से सीधे कराई जायेगी या वार्षिक ठेका नीलामी/निविदा के माध्यम से की जायेगी।

7—(क) ठेकेदारी पंजीकरण जमानत धनराशि—

प्रथम श्रेणी ठेकेदार रु0 10,00,000 से अधिक हेतु शुल्क रु0 1,50,000।

द्वितीय श्रेणी रु0 5,00,000 से 9,99,999 तक शुल्क रु0 1,00,000।

तृतीय श्रेणी रु0 1,00,000 से 4,99,999 तक शुल्क रु0 50,000।

चतुर्थ श्रेणी रु0 1,00,000 से कम शुल्क रु0 20,000।

(ख) ठेकेदारी पंजीकरण शुल्क रु0 10,000 जो ठेकेदार को कभी वापस नही होंगे।

(ग) पंजीकरण का नवीनीकरण का वार्षिक शुल्क रु0 5,000.00 जो ठेकेदार को कभी वापिस नहीं होगा। पंजीकरण का नवीनीकरण विलम्ब शुल्क रु0 200.00 प्रतिमाह होगा विशेष परिस्थितियों में पंजीकरण नवीनीकरण शुल्क दो गुना अर्थात् दस हजार प्रति ठेकेदार देय होगा।

नोट—उपरोक्त नगरपालिका परिषद् समथर विविधकर शुल्क उपविधि नियमावली, 2021 उ0प्र0 राज-पत्र में प्रकाशन/मुद्रण की तिथि से प्रभावी होगी। इस उपविधि में उल्लिखित विविधकर शुल्क की दरों में एवं पूर्व प्रकाशित नगरपालिका परिषद् समथर (झांसी) की उपविधि दरों में कोई विरोधाभास हो तो विविधकर शुल्क उपविधि, 2021 में उल्लिखित दरें प्रभावी मानी जायेंगी।

जीतेन्द्र सिंह ''भाईजी'',
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्,
समथर (झांसी)।

कार्यालय, नगर पंचायत औरास, जनपद उन्नाव

05 सितम्बर, 2022 ई0

सं0 179/सि0 (विधियां) ला0 शुल्क/प्रकाशन/2021—शासनादेश संख्या 2399/नौ-9-94-204 (ज0)/90 न0 वि0 अनु0-9 उ0प्र0 शासन, लखनऊ दिनांक 27 अक्टूबर, 1994, शासनादेश संख्या 2806/नौ-9-94—204 (ज0)/90 न0वि0अनु0-2 उ0प्र0 शासन, लखनऊ दिनांक 31 दिसम्बर, 1994 एवं नगर पंचायत समिति की बैठक दिनांक 22 सितम्बर, 2020 के संकल्प संख्या 05 तथा संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्र0 ऐक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 298 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत, औरास ने अपनी सीमा के अन्तर्गत लाइसेंसिंग व अन्य शुल्क सम्बन्धी नियमावली बनायी है। जिसे उक्त ऐक्ट की धारा 301(1) के अन्तर्गत आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु दिनांक 07 अक्टूबर, 2020 से दिनांक 07 नवम्बर, 2020 तक के लिए इस कार्यालय के पत्र संख्या 504/न0पं0औ0/ला0 शुल्क/प्रकाशन/2020 दिनांक 06 अक्टूबर, 2020 के द्वारा दो राष्ट्रीय समाचार-पत्रों "दैनिक जागरण" व दैनिक ''हिन्दुस्तान'' में प्रकाशित किया गया था। उक्त निर्धारित अवधि में कोई भी आपत्तियां इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है। तदोपरान्त बोर्ड बैठक दिनांक 22 सितम्बर, 2020 के संकल्प संख्या 05 में सर्वसम्मत से स्वीकृत प्रदान की गयी है। उक्त नियमावली गजट प्रकाशन की तिथि से लागू समझी जाय।

लाइसेंसिंग व अन्य शुल्क सम्बन्धी नियमावली

1—**शीर्षक**—यह नियमावली नगर पंचायत औरास, उन्नाव लाइसेंसिंग व अन्य शुल्क सम्बन्धी नियमावली, वर्ष 2020 कहलायेगी।

2—**प्रकृति**—यह नियमावली उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से या नगर पंचायत समिति/विहित प्राधिकारी की स्वीकृति से सीमा में प्रभावी होगी।

3—**परिभाषायें**—जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में—

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्र0 एक्ट संख्या 2, 1916) से है।

(ख) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगर पंचायत औरास, जनपद उन्नाव के अधिशासी अधिकारी से है।

(ग) ''बोर्ड'' का तात्पर्य नगर पंचायत औरास, जनपद उन्नाव के बोर्ड से है।

(घ) ''अध्यक्ष'' से तात्पर्य नगर पंचायत औरास, जनपद उन्नाव के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/ प्रशासक से है।

(ङ) ''नगर पंचायत'' से तात्पर्य नगर पंचायत औरास, जनपद उन्नाव से है।

(च) ''नगर पंचायत की सीमाओं'' से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमायें या भविष्य में बढ़ने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

(छ) ''लाइसेंसिग अधिकारी'' से तात्पर्य नगर पंचायत औरास, जनपद उन्नाव के अधिशासी अधिकारी से है।

4–कोई भी दुकान व अन्य व्यवसाय नियम के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त किये बिना नहीं चला सकेगा और उपनियम के लागू होने के पूर्व से चल रही समस्त व्यवसायों के लाइसेंस उपनियम के अन्तर्गत प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5–लाइसेंस की अवधि 01 अप्रैल से 31 मार्च तक एक वर्ष के लिए होगी।

6–प्रत्येक व्यक्ति/व्यवसायी के लिए आवश्यक होगा कि निम्नलिखित तालिका में निर्धारित की गई धनराशि शुल्क के रूप में अदा करके लाइसेंस प्राप्त कर लेवें।

7–लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपेक्षित धनराशि लाइसेंस प्राप्तकर्ता नगर पंचायत, औरास कार्यालय में जमा कर सकता है अथवा अधिकृत कर्मचारी को भुगतान करके रसीद प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक दुकानदार व अन्य के लिए आवश्यक है कि वह राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बाटों व मापों का प्रयोग करेंगे।

8–केन्द्र या राज्य सरकार या अन्य कोई विधि निहित संस्था के द्वारा तालिका में उल्लिखित व्यवसायों के नियंत्रण हेतु लाइसेंस से भिन्न होगा।

9–ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी छूत की बीमारी से पीड़ित है, उल्लिखित तालिका में वर्णित व्यवसाय नहीं करेगा। ऐसा किसी उल्लिखित व्यवसाय में सहायक अथवा नौकर भी नहीं रखा जायेगा।

10–नगर पंचायत प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी/अधिकृत कर्मचारी किसी समय भी दुकान के लाइसेंस का निरीक्षण कर सकते हैं और प्रत्येक दुकान के अन्दर आवश्यक स्थिति में प्रवेश के लिए अधिकृत होगा।

11–अधिशासी अधिकारी अथवा अधिकृत कर्मचारी लाइसेंस निर्गत कर सकता है।

12–जो शुल्क इस तालिका में नहीं है उसे संबंधित व्यवसाय के समकक्ष व्यवसाय मानकर उसी के अनुरूप लाइसेंस शुल्क लिया जायेगा।

13–इस उपनियम के प्रभावी होते ही पूर्व प्रभावी लाइसेंस उपनियमावली की शुल्कों की दरें निरस्त हो जायेगी।

14–वाहनों के लाइसेंस न होने पर अथवा चेकिंग में पकड़े जाने पर वाहन जमा कराकर उसे अधिकृत कर्मचारी रसीद दे देंगे तथा जानवर वाली गाड़ियों के जानवर भी बन्द किया जा सकता है।

15–शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार उपनियमावली उस सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

16–नगर पंचायत समिति यदि आवश्यक समझे तो नीलामी/निविदा के आधार पर लाइसेंस शुल्क की वसूली इन्हीं शर्तो के अधीन या जैसा समिति निर्धारित करें, करा सकती है।

वार्षिक दरें निम्नवत होगीः–

क्र0स0	मद	निकाय द्वारा निर्धारित वार्षिक लाइसेंस की दरें
1	2	3
		रु0
अ–होटल रेस्टोरेन्ट–		
(1)	होटल लाजिंग तथा गेस्ट हाउस 10 शैय्या तक	670.00
(2)	होटल लाजिंग तथा गेस्ट हाउस 11 से 20 शैय्या तक	2,000.00
(3)	एक सितारा होटल अथवा बिना स्टार 20 शैय्यों से ऊपर तथा 30 शैय्या तक	4,000.00
(4)	31 शैय्या से 40 शैय्या तक	4,670.00
(5)	41 शैय्या से 50 शैय्या तक	5,335.00
(6)	50 शैय्या से ऊपर	6,000.00
(7)	3 सितारा होटल	6,000.00
(8)	5 सितारा होटल	8,000.00
(9)	रेस्टोरेन्ट	400.00-1,200.00

1	2	3
		रु0
ब–नर्सिंग होम–		
(1)	नर्सिंग होम (20 बेड तक)	1,335.00
(2)	नर्सिंग होम (20 बेड से ऊपर) (35.00 प्रतिबेड)	3,335.00
(3)	प्रसूति गृह (20 बेड तक)	2,670.00
(4)	प्रसूति गृह (20 बेड के ऊपर)	3,335.00
(5)	प्राइवेट अस्पताल	3,335.00
(6)	पैथालॉजी सेन्टर	670.00
(7)	एक्सरे क्लीनिक	1,335.00
(8)	डेन्टल क्लीनिक	1,335.00-2,670.00
(9)	प्राइवेट क्लीनिक	670.00-2,000.00
स–परिवहन–		
(1)	ट्रान्सपोर्ट (बिना वाहन के एजेन्सी)	2,400.00
(2)	ट्रान्सपोर्ट (वाहन सहित एजेन्सी)	4,800.00
(3)	आटोरिक्शा 2 सीटर	240.00
(4)	आटोरिक्शा 7 सीटर (टैम्पो)	480.00
(5)	आटोरिक्शा 4 सीटर	335.00
(6)	मिनी बस	1,000.00
(7)	बस	1,670.00
(8)	तांगा/खड़खड़ा	35.00
(9)	रिक्शा किराये पर	100.00
(10)	रिक्शा (निजी चालित)	50.00
(11)	ठेला/ठेली	70.00
(12)	हाथ ठेला	20.00
(13)	बैलगाड़ी/भैसागाड़ी	20.00
(14)	ट्रेक्टर/ट्राली	100.00
(15)	अन्य चार पहियों के वाहन (व्यापारिक प्रयोग हेतु सभी वाहन)	670.00
(16)	मोटर गैरेज	800.00-2,400.00
(17)	स्कूटर गैरेज/रिपेयरिंग शॉप	335.00-1,000.00
(18)	मोटर वाहन एजेन्सी (सेल्स सर्विस)	3,335.00-6,670.00
(19)	स्कूटर एजेन्सी (2 पहिया 3 पहिया)	1,670.00-3,335.00
(20)	साइकिल की दुकान/साइकिल मरम्मत	335.00-670.00
द–पेट्रोलियम–		
(1)	दुकान मिट्टी का तेल 100 गैलन तक	35.00
(2)	दुकान मिटटी का तेल 300 गैलन तक	70.00
(3)	दुकान मिट्टी का तेल 500 गैलन तक	135.00
(4)	पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प फुटकर	2,000.00
(5)	पेट्रोल पम्प डीजल थोक (आयल कम्पनी)	4,000.00
(6)	जनरेटर डीजल सेट (किराये पर)	800.00
(7)	दुकान अन्य पेट्रोलियम उत्पादन	800.00
य–अन्य व्यवसाय–		
(1)	आटा चक्की (स्पेलर/थालसर) धान मशीन व अन्य फैक्ट्री	335.00
(2)	धुलाई गृह (लान्ड्री)	335.00
(3)	ड्राइ क्लीनर्स	670.00-1,670.00
(4)	साबुन फैक्ट्री	1,000.00
(5)	आइसक्रीम फैक्ट्री तथा कोल्ड ड्रिन्क, सोडा, ऐस्टेड वाटर फैक्ट्री	1,000.00
(6)	गुड़ गोदाम	800.00
(7)	कंकड़ तथा सुर्खी का भट्ठा	3,335.00-5,000.00
(8)	चूना	335.00

1	2	3
		रु0
(9)	ईट का भट्ठा	5,000.00
(10)	पेठा बनाने का कारखाना	800.00
(11)	जूता बनाने का कारखाना/दुकान	800.00-3,335.00
(12)	लोहा व्यापारी, टिम्बर, सीमेन्ट, ईंट, बालू थोक मोरंग, मार्बल टाइल्स, हार्डवेयर	1,000.00-3,335.00
(13)	बिजली के समान के विक्रेता छोटे/बड़े	335.00-3,335.00
(14)	कपड़ा थोक व्यापारी/फुटकर	470.00-5,000.00
(15)	चाय के थोक विक्रेता/फुटकर	800.00
(16)	नट फैक्ट्री	100.00
(17)	खाल तथा बाल उतारने वालों पर	670.00
(18)	कैटरिंग	670-1,335.00
(19)	बेकरी (पावर)	1,600.00
(20)	बेकरी (भट्ठी)	1,600.00
(21)	हेयर कटिग सैलून	335.00-1,000.00
(22)	ब्यूटी पार्लर	670.00
(23)	कुकिंग गैस एजेन्सी	1,000.00
(24)	जनरल मर्चेन्ट थोक	1,335.00
(25)	टेलरिंग हाउस (5 कर्मचारी)	470.00
(26)	टेलरिंग हाउस(5 कर्मचारी के ऊपर)	2,400.00
(27)	कोयला थोक विक्रेता	3,335.00
(28)	कोयला फुटकर विक्रेता	335.00
(29)	बेड़ा नावें	200.00
(30)	मसाला/पान मसाला कारखाना/फैक्ट्री	3,335.00
(31)	पेन्ट दुकान	670.00
(32)	बड़ी नावें	135.00
(33)	छोटी नावें	70.00
(34)	ज्वेलर्स/सुनार (बड़े) 5 लाख से ऊपर टर्न ओवर	16,665.00
(35)	ज्वेलर्स/सुनार (छोटे) 5 लाख टर्न ओवर से नीचे	8,000.00
(36)	विज्ञापन एजेन्सी	8,000.00
(37)	डेयरी फार्म	670.00
(38)	भूसा (थोक विक्रेता)	670.00
(39)	भूसा (फुटकर विक्रेता)	335.00
(40)	आडियो लाइब्रेरी	200.00
(41)	वीडियो लाइब्रेरी	670.00
(42)	केबिल टी0वी0	800.00
(43)	आर्कीटेक्ट, कन्सलटेन्ट विधि चार्टेड एकाउन्ट कास्ट एकाउन्ट	4,000.00
(44)	फाइनेन्स कम्पनी चिट फण्ड	4,000.00
(45)	इन्शोरेन्स कम्पनी प्रति शाखा	8,000.00
(46)	फाउन्डिग, इंजीनियरिंग, इण्डस्ट्रियल	800.00
(47)	पशु बध स्लाटर हाउस छोटा/बड़ा प्रति पशु	30.00
(48)	सींग गोदाम	335.00
(49)	हड्डी खाल गोदाम	670.00
(50)	अनाज, तिलहन, चीनी, खाण्डसारी (फुटकर विक्रेता)	1,335.00
(51)	अनाज, तिलहन, चीनी, गुड़, खाण्डसारी (थोक विक्रेता)	4,000.00
(52)	बार/बियर	4,000.00
(53)	आइस फैक्ट्री	70.00
(54)	टेन्ट की दुकान (टेन्ट हाउस)	670-3335.00
(55)	दाल, चावल, व बड़ी तेल की मिले (फैक्ट्री)	750-3,300.00

1	2	3
		रु0
र–दुकान–		
(1)	पान की दुकान	70.00-800.00
(2)	चाय की दुकान	70.00-800.00
(3)	जनरल मर्चेन्ट की दुकान (फुटकर)	400.00-800.00
(4)	किताबों की दुकान (थोक)	670.00
(5)	किताबों की दुकान (फुटकर)	335.00
(6)	न्यूज पेपर	335.00
(7)	लकड़ी की टाल की दुकान (थोक विक्रेता)	670.00
(8)	लकड़ी की दुकान (फुटकर)	335.00
(9)	टिम्बर मर्चेन्ट	8,000.00
(10)	रेडियोमैकेनिक/टी0वी0मरम्मत	670.00
(11)	टी0वी0 शाप/इलेक्ट्रानिक वस्तुएं	2,400.00
(12)	फर्टिलाइजर शॉप	800.00
(13)	प्लास्टिक फैक्ट्री	4,000.00
(14)	प्लास्टिक ट्रेडर्स	400-800.00
(15)	मिठाई की दुकान छोटी/बड़ी	335-2,000.00
(16)	चाट/मसाला की दुकान	170-670.00
(17)	ड्राईफ्रूट थोक विक्रेता	800.00
(18)	ड्राइफ्रूट फुटकर विक्रेता	400.00
(19)	गैस फिलिंग प्लान्ट	8,000.00
(20)	सब्जी की दुकान और फल की दुकान	135.00
(21)	बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	3,335.00
(22)	मसाले थोक विक्रेता	3,335.00
(23)	मसाले फुटकर विक्रेता	1,335.00
(24)	देशी शराब प्रति दुकान	4,000.00
(25)	विदेशी शराब प्रति दुकान	8,000.00
(26)	भैंसा मांस की दुकान	200.00
(27)	बकरा/बकरी आदि मांस की दुकान/मछली की दुकान	400.00
(28)	फर्नीचर की दुकान, शोरूम	3,335.00
(29)	फर्नीचर विक्रेता	1,670.00
(30)	क्राकरी विक्रेता फुटकर/थोक	335-1,670.00
(31)	चूड़ी विक्रेता	70-335.00
ल–पशुपालन–		
(1)	प्रति जुर्माना कांजी हाउस में बन्द (छोटे/बड़े पशु)	235.00
(2)	काजी हाउस में बन्द खुराक प्रतिदिन छोटे जानवर (बकरी आदि)	50.00
(3)	प्रति खुराक बड़े जानवर (गाय, भैंस घोड़े आदि)	100.00
(4)	प्रति पशु प्रतिदिन (साफ-सफाई व्यवस्था)	50.00

विलम्ब शुल्क–सभी दुकानों व कारखानों पर प्रतिमाह रु0 50.00 (पचास रुपया मात्र) विलम्ब शुल्क देय होगा।

शास्ति

संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्र0 ऐक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 299 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत औरास, जनपद उन्नाव यह निर्देश देती है कि उपरोक्त नियमों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड किया जायेगा। जो रु0 1,000.00 (रुपये एक हजार मात्र) तक हो सकता है। यदि उल्लंघननिरन्तर जारी रहे तो प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता चला आ रहा है तो रु0 25.00 (रुपया पच्चीस मात्र) अर्थदण्ड प्रतिदिन उपरोक्त के अतिरिक्त किया जायेगा। अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 मास का कारावास का दण्ड दिया जा सकेगा।

राकेश कुमार,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, औरास,
उन्नाव।

कार्यालय, नगर पंचायत औरास, जनपद उन्नाव

05 सितम्बर, 2022 ई0

सं0 180/सि0(विधियां), विज्ञा0कर/प्रकाशन/2021—संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्र0 ऐक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 298(2) के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत औरास की समिति बैठक दिनांकः 22 सितम्बर, 2020 के संकल्प संख्या 06 के अन्तर्गत ने अपनी सीमा के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए साइन बोर्ड/ग्लो साइन बोर्ड/होर्डिंग/बैनर/वाल पेन्टिंग/कटआउट/बोर्ड पोस्टर पर कर रोपड़ के उद्देश्य ''विज्ञापन कर'' नियमावली बनायी है, जिससे उक्त एक्ट की धारा 301 (1) के अन्तर्गत आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु दिनांक 07 अक्टूबर, 2020 से दिनांक 07 नवम्बर, 2020 तक के लिए इस कार्यालय के पत्र संख्या 505/न0पंऔ0/विज्ञा0कर/प्रकाशन/2020 दिनांक 06 अक्टूबर, 2020 के द्वारा दो राष्ट्रीय समाचार-पत्रों "दैनिक जागरण" व दैनिक "हिन्दुस्तान" में प्रकाशित किया गया था। उक्त निर्धारित अवधि में कोई भी आपत्तियां इस कार्यालय में प्राप्त नही हुई हैं। तद्पोरान्त बोर्ड बैठक दिनांक 22 सितम्बर, 2020 के संकल्प संख्या 06 में सर्वसम्मत से स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त नियमावली गजट प्रकाशन की तिथि से लागू समझी जाय।

नियमावली

1—**शीर्षक**—यह नियमावली नगर पंचायत औरास, उन्नाव ''विज्ञापन कर'' नियमावली, वर्ष 2020 कहलायेगी।

2—**प्रकृति**—यह नियमावली उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से या नगर पंचायत समिति/विहित प्राधिकारी की स्वीकृति से सीमा में प्रभावी होगी।

3—**परिभाषायें**—जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में—

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्र0 एक्ट संख्या 2, 1916) से है।

(ख) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगर पंचायत औरास, जनपद उन्नाव के अधिशासी अधिकारी से है।

(ग) ''बोर्ड'' का तात्पर्य नगर पंचायत औरास, जनपद उन्नाव के बोर्ड से है।

(घ) ''अध्यक्ष'' से तात्पर्य नगर पंचायत औरास, जनपद उन्नाव के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/ प्रशासक से है।

(ङ) ''नगर पंचायत'' से तात्पर्य नगर पंचायत औरास, जनपद उन्नाव से है।

(च) ''नगर पंचायत की सीमाओं'' से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमायें या भविष्य में बढ़ने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

(छ) ''विज्ञापन'' से तात्पर्य किसी ऐसे पत्र, पत्रांक, सूचना पोस्टर, कपड़े के बैनर, कागज के छोटे पोस्टर चिपकाने वाले, साइन बोर्ड या अन्य किसी ऐसे पक्ष से है जो विज्ञापन के लिये प्रस्तुत की गई है जिससे स्टेनसिल के छापे/लिखे हुये या रंगीन तथा वे तस्वीरें और रेखा चित्र भी सम्मिलित हैं जो इस हेतु बनाये गये हैं।

(ज) ''भवन'' से तात्पर्य घर, दुकान या छप्पर अथवा अन्य छत्तेदार निर्माण चाहे वे किसी भी विधि से बनायी गयी हो तथा इसके प्रत्येक भाग, जिसमें बाहरी दीवारों घेरा या भवन के किसी भाग से है, जिसमें विज्ञापन प्रदर्शित किया गया है।

(झ) ''व्यक्ति'' में वे सभी सम्मिलित हैं जो विज्ञापन कार्य करने के लिये नियुक्त किये तथा फर्मों या कम्पनी/कम्पनी मालिक, स्वामी प्रतिनिधि, साझेदार या प्रबंधक आदि जिनके लिये विज्ञापन प्रदर्शित किया गया हो।

4—कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत, औरास की सीमा के भीतर किसी स्थान या भवन पर अथवा वाहन पर कोई विज्ञापन जिसका उल्लेख ऊपर नियमावली में किया गया है प्रदर्शित करने, जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिये बिना अधिशासी अधिकारी के पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये न ही लगवायेगा और न लगवाने का अधिकारी है।

5—नगर पंचायत, औरास की सीमा के भीतर किसी स्थान के उपयोग की आज्ञा प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र निश्चित स्थान, घर के दो स्पष्ट मानचित्रों में प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री या बनाये जाने वाली तस्वीर की प्रतियां, विज्ञापन का आकार तथा जिनसे समय के लिये आज्ञा मांगी गयी हो इस उल्लेख के साथ अधिशासी अधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिये जो उसमें तथा स्थान उपयुक्तता आदि को देखते हुये अशिष्टता, उत्तेजनात्मकता तथा दृष्टिकोण से विज्ञापन के आपत्तिजनक चरित्र की जांच करने के पश्चात् लिखित जाँच-पड़ताल करके अस्वीकृत आवेदन-पत्रों पर अस्वीकृति के कारण अंकित किये जायेंगे।

6—अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि यह अपने द्वारा किसी स्वीकृत आज्ञा को जनहित में रद्द कर दे या काट दें या रोक दें ऐसी दशा में शुल्क का यथोचित भाग उनके द्वारा वापस किया जायेगा।

7—नगर पंचायत, औरास की सीमा के भीतर अनाधिकृत विज्ञापन लगाने पर अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उस व्यक्ति के खर्चे पर हटा दें और इस प्रकार किया गया व्यय नगरपालिका अधिनियम के अध्याय-6 के अन्तर्गत उस

व्यक्ति या फर्म से वसूल कर लिया जावेगा जिसके लिये या जिसका विज्ञापन करने के लिये यह लगवाया गया था। यदि विज्ञापन हटाये जाने की तिथि से एक माह के अन्दर न छुड़वाया जाये तो अधिशासी अधिकारी संबंधित लोगों को इसके लिये सूचना देकर ऐसे विज्ञापनों को नीलाम कर सकेंगे।

8–उपरोक्त नियम पांच के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क निम्न पर देय नहीं होगा–

(क) ऐसे विज्ञापन जो सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी संस्थाओं के कार्यों हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा करवाये या लगवाये जाये।

(ख) ऐसा साइनबोर्ड जो संबंधित दुकान/मकान के नाम की सूचना देता हो।

(ग) सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक विज्ञापन।

9–**दर/शुल्क**–इन नियमों के अन्तर्गत प्रत्येक आज्ञा के स्वीकार किये जाने पर लिखित शुल्क अग्रिम जमा करना होगा–

क्रं0सं0	विवरण	आकार	वार्षिक कर	मासिक कर	दैनिक कर
			रु0	रु0	रु0
1	साइन बोर्ड/ग्लो साइन बोर्ड/बोर्ड/होर्डिंग	18'×8'	1,000.00	100.00	4.00
	ग्लोसाइन बोर्ड उन बोर्ड को कहा जायेगा जो अन्दर की	8'×6'	750.00	75.00	3.00
	ओर से विद्युत प्रकाशित हो या इलेक्ट्रानिक डिवाइस के	8'×4'	500.00	50.00	2.00
	माध्यम से प्रकाशित हो, दुकानों/ प्रतिष्ठानों पर लगे साइन बोर्ड/ग्लो साइन बोर्ड पर नियमावली लागू नहीं होगी जिस पर दुकानदारों का नाम लिखा हो।	3'×2'	400.00	40.00	1.50
2	वाल पेन्टिग	3'×2'	300.00	100.00	2.00
3	टी गार्ड	यूनिट	100.00	50.00	2.00
4	बैनर	यूनिट	100.00	50.00	2.00
5	रेलिंग पर (नगर पंचायत की जो प्रस्तावित है)	यूनिट	100.00	20.00	2.00

साइन बोर्ड का आकार 10'×3' से बड़ा नहीं होगा। कपड़े के बैनर की चौड़ाई 21'×3' से अधिक नहीं होगा तथा सड़क के धरातल से 12 फिट के ऊँचाई से कम पर प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

10–यदि नगर पंचायत यह आभास करती है कि प्रदर्शित विज्ञापन नियमावली के विरुद्ध है तो नगर पंचायत उसे हटा देगी।

11–दुकानों के आगे नाम पट्टिका लगे बोर्ड एवं सामाजिक संदेश देने वाले विज्ञापन पर नियमावली लागू नहीं होगी।

12–किसी प्रकार के विज्ञापन जो नगर पंचायत शुल्क जमा कर लगवाने की अनुमति व्यक्तियों/संस्थाओं/कम्पनियों ने प्राप्त कर ली है। ऐसा विज्ञापन नहीं लगवाया जा सकता जो मनुष्यों की भावनाओं को ठेस पहुंचाती हो, दूसरे व्यक्तियों के प्रति घृणा उत्पन्न करती हो या व्यक्तिगत द्वेष से प्रेरित होकर ऐसा कोई उद्बोधन करती हो जो विवाद उत्पन्न कर सकता है।

13–नगर सीमान्तर्गत लगाये गये टी गार्ड/नगरीय शासकीय सम्पत्ति/रेलिंग पर विज्ञापन लगाने से पूर्व यह सिद्ध करना होगा कि वह सद्भाव पूर्ण, आचरणसंग एवं नैतिकतापूर्ण है तथा व्यवसायिक उद्देश्यों से लगाया जा रहा है। उपरोक्त के सम्बन्ध में संख्या निर्धारण का अधिकार अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक नगर पंचायत औरास, उन्नाव में निहित होगा।

14–अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक नगर पंचायत औरास, उन्नाव में यह अधिकार निहित होगा कि प्रस्तावित नियमावली से भिन्न किसी प्रकार के विज्ञापन शुल्क के सम्बन्ध में नियम सम्मत शुल्क का निर्धारण कर सकता है।

15–नगर पंचायत औरास, उन्नाव नगर सीमान्तर्गत विज्ञापन दाता व्यक्तियों/संस्थाओं/कम्पनियों तथा नगर पंचायत के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक नगर पंचायत औरास, उन्नाव का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा जो अन्तिम होगा।

16–नगर पंचायत/जिला प्रशासन/चुनाव आयोग या राज्य सरकार के द्वारा हटाये गये विज्ञापनों की क्षतिपूर्ति देय न होगी।

17–ग्लो साइन बोर्ड/पेड़ों/विद्युत् पोलों /ट्रान्सफार्मर के खम्भों पर किसी भी दशा में प्रदर्शित नहीं किये जायेंगे। क्यिास्क पट्ट प्रत्येक खम्भे पर दो (आगे/पीछे) से अधिक नहीं लगाये जायेंगे। दो बैनरों के बीच की दूरी 1 फुट अनिवार्य होगी तथा क्रास द रोड बैनर लगाया जाना प्रतिबन्धित है एवं बैनर की साइज 4'1 मीटर से अधिक नहीं होगा।

18–उपरोक्त शर्तो में परिवर्तन-परिवर्धन करने का अधिकार अध्यक्ष, नगर पंचायत औरास, उन्नाव में निहित होगा।

19–शासन स्तर से समय-समय पर निर्गत शासनादेश मान्य होंगे तथा नियमावली उस सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

शास्ति

संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्र0 ऐक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 299 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत औरास, जनपद उन्नाव यह निर्देश देती है कि उपरोक्त नियमों के किसी अनुच्छेद का उल्लघंन करने पर अर्थदण्ड किया जायेगा। जो रु0 1,000.00 (रुपये एक हजार मात्र) तक हो सकता है। यदि निरन्तर जारी रहे तो प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता चला आ रहा है तो रु0 25.00 (रुपय पच्चीस मात्र) अर्थदण्ड प्रतिदिन उपरोक्त के अतिरिक्त किया जायेगा। अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 मास का कारावास का दण्ड दिया जा सकेगा।

राकेश कुमार,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, औरास,
उन्नाव।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं तान्या कश्यप वैष्णवी सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज 109 महाबीरपुरी के0के0सी0 कालेज के पीछे हैदर कैनाल, चारबाग, लखनऊ की डायरेक्टर हूं। वैष्णवी गार्ड सर्विसेज लखनऊ में 3 पार्टनर क्रमशः तान्या कश्यप, अंशू कश्यप व उमेश कुमार हैं, उमेश कुमार, निवासी सबरी चुंगी के पास गनेशगंज महुअरिया, जिला मिर्जापुर को फर्म से कार्यमुक्त कर दिया गया है इस पार्टनरशिप के स्थान पर दूसरी पार्टनरशिप डीड तैयार हुई है जिसमें खुशी कश्यप को पार्टनरशिप में जोड़ दिया गया है और फर्म का संचालन किया जा रहा है।

तान्या कश्यप,
डायरेक्टर,
वैष्णवी सिक्योरिटी सर्विसेज,
109 महाबीरपुरी, के0के0सी0 कालेज,
के पीछे हैदर कैनाल, चारबाग, लखनऊ।

सूचना

मैं, श्रीमती नौरंगा देवी पत्नी स्व0 भोलानाथ, निवासी ग्राम खांई, (कल्याण शाह का पूरा) तहसील करछना, प्रयागराज, मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम बबिता देवी पत्नी जगदीश तिवारी, निवासी रामपुर, सराय इनायत अंदावा अंकित हो गया है। जो कि पूर्णतः गलत है अन्य पहचान व दस्तावेजों में सही दर्ज है। अतः नौरंगा देवी पत्नी स्व0 भोलानाथ खांई, तहसील करछना, प्रयागराज को सत्य माना व जाना जाये।

नौरंगा देवी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का पहले सौम्या साहनी नाम था। ज्योतिषाचार्य के अनुसार मैंने अपने पुत्र का नाम बदल कर आदित्या साहनी (ADITYA SAHANI) रख दिया है जिससे कि मेरे पुत्र का स्वास्थ्य और भविष्य उज्जवल हो सके। भविष्य में मेरे पुत्र को आदित्य साहनी के नाम से जाना एवं पहचाना जाय।

विशाल साहनी,
पुत्र भोला नाथ।

सूचना

फर्म मेसर्स एम0डी0 ट्रांसपोर्ट कैरियर, रमपुरा, सेन्ट्रल जेल, फतेहगढ़, फर्रूखाबाद में दिनांक 07 सितम्बर, 2022 को श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री तिलक सिंह निवासी 3/147, सेक्टर-3, सुहाग नगर, फर्रूखाबाद सम्मिलित हो गये हैं। दिनांक 07 सितम्बर, 2022 से फर्म में श्रीमती रीता यादव पत्नी श्री यशपाल सिंह नि0 ग्राम रमपुरा, सेन्ट्रल जेल, फतेहगढ़, फर्रूखाबाद उ0प्र0, श्रीमती सरोज यादव पत्नी श्री दृग पाल सिंह नि0 ग्राम रमपुरा, सेन्ट्रल जेल, फतेहगढ़, फर्रूखाबाद, उ0प्र0 एवं श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री तिलक सिंह निवासी 3/147, सेक्टर-3, सुहाग नगर, फर्रूखाबाद पार्टनर हैं।

सरोज यादव,
पार्टनर,
मेसर्स–एम0डी0 ट्रांसपोर्ट कैरियर,
रमपुरा, सेन्ट्रल जेल, फतेहगढ़, फर्रूखाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेसर्स एम0एन0 बिल्डर्स, MMIG C-8 आशियाना प्रथम कांठ, मुरादाबाद (यू0पी0) जिसकी पंजीकरण सं0 MBD-4107 है। उक्त फर्म के पंजीकरण के समय फर्म में दो पार्टनर मुर्तजा अली एवं श्री नाजिम अली थे। पार्टनर श्री नाजिम अली ने दिनांक 31 मार्च, 2021 को त्याग-पत्र/रिटायरमेन्ट लेकर अपनी साझेदारी समाप्त कर ली है। जिनके स्थान पर दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को श्री मोईन अली शामिल हो गये हैं। त्याग-पत्र/रिटायरमेंट लेने वाले पार्टनर की फर्म पर अब कोई लेनदारी/देनदारी नहीं है। उक्त फर्म में अब वर्तमान में दो पार्टनर मुर्तजा अली एवं श्री मोईन अली हैं।

मुर्तजा अली,
मेसर्स एम0एन0 बिल्डर्स,
MMIG C-8 आशियाना प्रथम,
मुरादाबाद, यू0पी0।

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेसर्स फोर्ट (इंडिया) इण्टरप्राइजेज, 119/23(नया 119/45), नसीमाबाद, कानपुर नगर के संविधान में दिनांक 01 अप्रैल, 2016 को श्रीमती रूचिरा आनन्द पत्नी श्री कुमार आनन्द अग्रवाल नि0 111-ए/335 अशोक नगर कानपुर सम्मिलित हुई थीं तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2017 को श्री अनुपम अग्रवाल पुत्र स्व0 विशंभर दास अग्रवाल नि0 1304 अमांडा-ए, हीरानंदानी मीडोज, ग्लेडिस अल्वारेस रोड, काशीनाथ धाणेकर, ऑडिटोरयम, ठाणे सम्मिलित हो गये हैं तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2017 को श्रीमती मनोरमा अग्रवाल पत्नी स्व0 विशम्भर दास नि0 111-ए/335 अशोक नगर,

कानपुर साझीदारी से हट गयी हैं तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को श्रीमती अनीता अग्रवाल पत्नी श्री विजयम अग्रवाल नि0 119/23 (नया 119/45), नसीमाबाद, कानपुर नगर सम्मिलित हो गयी हैं तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से फर्म में निम्न पार्टनर हैं। श्री विजयम अग्रवाल, श्रीमती संजना अग्रवाल, श्री अनुपम अग्रवाल, श्रीमती रूचिरा आनन्द, श्रीमती अनीता अग्रवाल।

विजयम अग्रवाल,
पार्टनर,
फर्म मेसर्स फोर्ट (इंडिया) इण्टरप्राइजेज,
119/23 (नया 119/45), नसीमाबाद,
कानपुर नगर।

सूचना

फर्म मेसर्स डी0एस0 ट्रांसपोर्ट कैरियर, रमपुरा, सेन्ट्रल जेल, फतेहगढ़, फर्रूखाबाद में दिनांक 07 सितम्बर, 2022 को श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री तिलक सिंह निवासी 3/147, सेक्टर-3, सुहाग नगर, फर्रूखाबाद सम्मिलित हो गये हैं। दिनांक 07 सितम्बर, 2022 से फर्म में श्रीमती रीता यादव पत्नी श्री यशपाल सिंह नि0 ग्राम रमपुरा, सेन्ट्रल जेल, फतेहगढ़, फर्रूखाबाद, उ0प्र0, श्रीमती सरोज यादव पत्नी श्री दृगपाल सिंह नि0 ग्राम रमपुरा, सेन्ट्रल जेल, फतेहगढ़, फर्रूखाबाद, उ0प्र0 एवं श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री तिलक सिंह निवासी 3/147, सेक्टर-3, सुहाग नगर, फर्रूखाबाद पार्टनर हैं।

रीता यादव,
पार्टनर
मेसर्स डी0एस0 ट्रांसपोर्ट कैरियर,
रमपुरा, सेन्ट्रल जेल, फतेहगढ़, फर्रूखाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स आई0 टी0 एसोसिएट्स, डी-1/2 सेक्टर 22 ट्रांसपोर्ट नगर गिडा सहजनवॉ, जनपद गोरखपुर, उ0प्र0 नामक फर्म में साझेदारी डीड दिनांक 25 फरवरी, 2016 से मकसूद आलम एवं हसन इकबाल जी साझेदार थे। यह की साझेदारी डीड दिनांक 01 सितम्बर, 2016 से हसन इकबाल जी अपना हक और हिस्सा लेकर रिटायर्ड हो गये तथा नसरीन फातिमा, शकील अहमद खान व गुलरेज राना एवं गुलनार फात्मा जी उक्त फर्म में साझेदार के रूप में शामिल हुए थे। यह की साझेदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से नसरीन फातिमा उक्त फर्म से रिटायर्ड हो गयीं तथा नौशाद अहमद जी उक्त फर्म में साझेदार के रूप में शामिल हुये थे। यह की साझेदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से शकील अहमद खान व गुलरेज राना एवं गुलनार फात्मा जी उक्त फर्म से अपना हक और हिस्सा लेकर रिटायर्ड हो गये हैं। अब उक्त फर्म में क्रमशः नौशाद अहमद एवं मकसूद आलम जी हैं। उक्त फर्म में किसी का कोई लेन-देन बकाया नहीं है।

नौशाद अहमद,
साझेदार
मेसर्स आई0टी0 एसोसिएट्स,
डी-1/2, सेक्टर 22,
ट्रांसपोर्ट नगर गिडा, सहजनवाँ,
जनपद-गोरखपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है अभिराज गुप्ता सी0बी0एस0ई0 की परीक्षा सन् 2019 में उत्तीर्ण किया है। मेरे हाईस्कूल सह अंक-पत्र में माता का नाम सुभा गुप्ता अंकित है जो त्रुटिपूर्ण है। मेरी माता का सही नाम सुभावती गुप्ता पत्नी अमरदीप गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

अभिराज गुप्ता,
सा0-3/3-के-5 परमहंस नगर,
छोटा लालपुर, पाण्डेयपुर, वाराणसी।

पी0एस0यू0पी0—27 हिन्दी गजट—भाग 8—2022 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।